HARYANA VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PETITIONS

(2012-2013)

(SECOND REPORT)

REPORT

on

Various Petitions received by the Committee

(Presented to the House on 28 August, 2012)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
CHANDIGARH
2012

TABLE OF CONTENTS

		Page No
Composition of Committee on Petitions		(iii)
Introduction		(v)

Petition Received from

Sr No		
1	Shri Devi Ram Sharma S/0 Sh Lala Ram Sharma VPO Kheri Kalan Moh Haga Faridabad	2–5
2	Smt Kavita Jain MLA Sonepat Haryana	5–11
3	Smt Kanta Rani W/o Sh Nihal Chand Mahabir VPO Kalanaur (Rohtak)	11–12
4	Shri Aftab Ahmed MLA Nuh Haryana	12
5	Shri Narayan Dass Sharma S/o Sh Raghunath Sharma R/o Ward No 9 Gadriya Mohalla Distt Yamuna Nagar	13
6	Shri Prithvi Chander S/o Sh Narata Ram H No 29 D Khera Wala Mohala VPO Bhainsatiba Panchkula	14–18
7	Residents of Rai Water Services Division Sonepat	18–19
8	Shri Rameshwar Dass Sharma and others Residents of Village Khanpur PO Kanheri District Yamuna Nagar	19–26
9	Shri Jeevan Gambhir Maths Teacher 1589 Sector 17 HUDA Jagadhri 135003	26–27
10	Shri Rishi Pal S/o Sh Sita Ram Vill Samora, Tehsil Indri Distt Karnal against SHO Indri	28–30
11	Sh Chanderprakash Saini H No 280/20 Sainipura Rohtak 124001	30–32
12	Residents of Village Pabnera Distt Sonepat	32–34
13	Shri Mahinder Singh and Ors R/o (Pada) Azadgarh Kishanpura Rohtak	34–35
14	Dr Jarnail Singh S/o Sh Jasmair Singh R/o Vill Alahar Tehsil Jagadhri Distt Yamuna Nagar	35–36
15	Dr Ashok Kashyap MLA Indri Haryana	37–38
16	Shri Hawa Singh S/o Shri Dharm Singh Vill Ghumar Tehsil Ganaur Distt Sonepat	39–42

17	Lt Cdr (Retd) D S Balhara R/o A I Jal Vayu Vihar Sector 30 Gurgaon	42–44
18	Shri Bhim Singh Advocate Vill & PO Agwanpur Distt Sonepat	44–48
19	Shri Sant Lal Sharma Retired Assistant Malaria Officer Hisar	48–49
20	Shri Ashok Kumar S/o Sh Budhram VPO Lisan Distt Rewari	49–57
21	Shri Ravinder Kumar (62/C Retd Sub Inspector) Resident of 5016 B Sector 38 West Chandigarh	57–58
22	Sh Shish Pal Rana Bureau Chief Aaaj Samaj Newspaper Karnal	58–61

COMPOSITION OF THE COMMITTEE ON PETITIONS

(2012 2013)

CHAIRPERSON

1 Shri Bharat Bhushan Batra

MEMBERS

2 Shri Aftab Ahmed

3 Shri Zile Ram Sharma

4 Shri Dharam Singh Chhoker

5 Dr Ashok Kashyap

6 Master Dharam Pal Obra

7 S Dilbagh Singh

SPECIAL INVITEE

8 Shri Phool Singh Kheri

9 Shri Krishan Lal Kamboj

SECRETARIAT

1 Shri Sumit Kumar Secretary

2 Shri V K Kakkar Superintendent

(Nominated by Hon ble Speaker on 3rd May 2012)

(**Nominated by Hon ble Speaker on 9th May 2012)

(v)

INTRODUCTION

1 I Bharat Bhushan Batra Chairperson of the Committee on Petitions having been authorized by the Committee in this behalf present this Second Report of the Committee on Petitions on the various Petitions received by the Committee

2 The Committee considered all the Petitions as per the details given in the Report and examined the concerned Government Officers where felt necessary The Committee made its observations and has tried its level best to redress the grievances of the Petitioners to the maximum extent

3 The Committee considered and approved this report at their sitting held on 8th August 2012

4 A Brief record of the proceedings of the meetings of the Committee has been kept in the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

5 The Committee would like to express their thanks to the Government Officers and other representatives of various departments who appeared for oral evidence before them for the cooperation in giving information to the Committee

6 The Committee is also thankful to the Secretary and other Officer/ Officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their whole hearted cooperation and assistance given by them to the Committee

Chandigarh (Bharat Bhushan Batra)

The 8th August 2012 CHAIRPERSON

REPORT

The Committee on Petitions for the year 2012 13 consisting of seven Members was nominated by the Hon ble Speaker Haryana Vidhan Sabha on 20th April 2012 under Rule 273 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the House Shri Bharat Bhushan Batra MLA was nominated as Chairperson of the Committee by the Hon ble Speaker Two special invitees were also nominated by the Hon ble Speaker to serve in this Committee

The Committee held 25 sittings during the year 2012 13 (till finalization of the Report)

COMMITTEE ON PETITIONS OF HARYANA VIDHAN SABHA

The details of Petitions for redressal of their grievances are as under —

1 **PETITION RECEIVED FROM SHRI DEVI RAM SHARMA S/O SH LALA RAM SHARMA, VPO KHERI KALAN, MOH HAGA, FARIDABAD REGARDING INVESTIGATION ABOUT BOGUS SERVICE TERMINATION LETTER & FABRICATION OF SERVICE BOOK OF DEVI RAM SHARMA ETC**

The Petition received from Shri Devi Ram Sharma S/o Sh Lala Ram Sharma VPO Kheri Kalan Moh Haga Faridabad reads as under —

From

Devi Ram Sharma
S/o Sh Lala Ram Sharma
VPO Kheri Kalan Moh Haga
Faridabad

Dated 31 3 2011

Reminder 20 6 2011

Sub **Investigation about bogus Service Termination Letter No 5178 80/ 4 E dated 29 10 80, fabrication of Service Book of Devi Ram Sharma and fabrication of bogus more over 1500 letters without any authentication by SE, YWS Circle, Faridabad & XEN Palwal Water Services Div Palwal Only S E , YWS Circle, Karnal is the authorized person to fabrication any document related to my services as per affidavit to Sh Anand Kumar S E , YWS Circle, Faridabad**

Dear Sir

This has reference to my various letters written to you for investigation of bogus Service Termination Letter No 5178 80/4 E dated 29 10 80 fabrication of Service Book and fabrication of more over 1500 letters by the Superintending Engineer YWS Circle Faridabad – 121 002 and Executive Engineer Palwal Water Service Division Palwal without any authentication I was appointed thorugh Divisional Employment Exchange Faridabad on 22 8 79 as Clerk cum Typist on adhoc basis and I was regularized in service *vide* Executive Enigneer UDD Faridabad Division Faridabad letter No 3266/PF dated 7 6 80 and after regularization in service I was deputed for undergone In service Training of Clerical Establishment & P W D Accounts Training 109th Batch at P W D Training Institute Nilokheri Distt Karnal by the Excutive Engineer UDO Faridabad Division Faridabad letter No 686/4 E dated 28 8 1980

Shri T S Lamba Chief Engineer cum Principal PWD Training Institute Nilokheri issued a Certificate in my name vide Memo No 3227 52 dated 19 12 1980 for successfully completion of accounts training for further necessary action as per directions of this letter That as per policy of the Haryana Government only permanent clerk of the State Government are eligible for under gone in this departmental training as per Memo No 6/14/2010 1 GSI dated 7 6 2010

That during the month of July 1982 the O/o the Executive Engineer UDD Faridabad Division was removed and shifted enblock as Central Workshop Division Meerut Road Karnal where I was working at the time and merged with Drainage Circle Karnal That after some time this circle office was re named as Yamuna Water Services Circle Kanral I draw you kind attention to letter No 1870 72/PF dated 18 11 2009 from Superintending Engineer YWS Circle Faridabad to the Chief Engineer Coordination Irrigation Deptt Haryana Panchkula which is self explained as under It is further added that the appellant was employed in U D D Faridabad Division and this Divison was detached from this Circle during July 1982 and was removed and shifed enblock as Central Workshop Division Karnal and whose record pertaining to Establishment was taken by the Division to Karnal where the appellant was employed at that time Central Workshop divison Karnal was merged with Drainage Circle Karnal and after some time this Circle re named as YWS Circle Karnal As per knowledge of this office the record of the Central Workshop Division Karnal might be under the charge of Superintending Engineer YWS Circle Karnal may be asked to provide the information as desired by the appellant if deemed fit

Shri Anand Kumar Sharma Superintendent Engineer YWS Circle Faridabad submit an Affidavit dated 2 12 2009 (copy enclosed) before Chief Information Commissioner Haryana Chandigarh in which mentioned that Superintending Engineer Workshop Circle Karnal was also requested to search out and supply the copy of Attendence Register and Experince Certificate of the Appellant as the defunct Faridabad Division UDD Faridabad where the appellant was working at that time was shifed enblock to Karnal as Central Workshop Division Karnal during July 1982 who also vide letter no 6065/RTI dated 23 11 2009 (Copy Enclosed) has replied that the record of Central Workshop Division Karnal never imerged in his Circle The required record is not made available from any where hence it is prayed that the point may be closed

Shri Anand Kumar Sharma PIO cum S E Y W S Circle Faridabad (2) Sh R C Garg Circle Faridabad (3) Sh R K Singla Xen (4) Sh H C Mangla Dy Superintendent and (5) Sh D N Bansal SDO working Sharma Superintending Engineer YWS Circle Faridabad was fabricated falls & bogus termination orders/ more than 1500 letters for which they are not Competent Authority I was never work under their kind conrol not authorized by the senior officers of Irrigation Department Haryana to fabricate falls & bogus documents They related to my service or attestation

I was worked in the office of the Executive Engineer Faridabad Division UDD Faridabad which Karnal and re named as CENTRAL WORKSHOP DIVISION

MEERUT ROAD KARNAL where I was working merged (attached) with Drainage Circle Karnal during July 1982 with all relevant record relative to Establish Karnal So Superintending Engineer YWS Circle Faridabad was not the Competent Authority to entertain in never authorized by the Sr Officers of the Irrigation Deptt Haryana to fabricate/replied on my queries So Sharma S E YWS Circle Faridabad can not entertain in my case

That as per clarified above the terms & conditions of adhoc appointment letter of my said client should applicable after regularization in service after 22 2 1980 Only Civil Service Rules whould be applicable after service on my above said client That as per section 311(1) & 311 (2) of the Constitution of India permanent not removed from the service without iven him charge sheet suspension letter and after enquiry of the charge removed from the duties after all formalties as per Civil Service Rules

That I would like to draw you kind attention to enclosed letter No 7413/P F dated 20 7 2010 issued Central Zone Faridabad Police by the S E Y W S Circle Faridabad in which two time mentioned clearly the himself from duties w e f 25 10 80 and after 24 10 1980 he was never attend his duties He was never terminated He was consider relieved from duties w e f 25 10 1980 because he was absented himself from duties after 2 years

In view of the above I am requesting from long time to take necessary actions against the above five officers of Irrigation Deptt Haryana Your early action in this regard will be highly appreciated

Thanking you

DA Affidavit of S E YWS Circle Faridabad

Copy of the above is forwarded to the following or information & NA Please

1 Executive Engineer Vigilance Division Canal Colony Rewari

2 Superintending Engineer Vigilance Circle Canal Colony Rohtak

3 Sh Kuldeep Shrma Speaker Haryana Assembly Chandigarh

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 21 09 2011 and the Department was asked to send the comments on 12 10 2011 and subsequent reminder was sent on 16 12 2011

The Committee orally examined the departmental representatives in its meeting held on 18 02 2012 After hearing the departmental representative who stated that the case of the petitioner was dealt with as per the policy of the Government for regularizing the services of ad hoc employees the Committee decided to hear the petitioner in one of its subsequent meetings

The Petitioner was called by the Committee on 14 03 2012 but he did not turn up The Committee made the following observations —

> In continuation of the proceedungs of the meeting of the Committee held on 18 2 2012 the Committee desired to call the petitioner (Shri Devi Ram Sharma) notice has been sent to the petitioner at the address shown in the complaint/petition but he has not responded to the notice of the Committee and even after sending the petition he has not contacted the office of the Committee Shri Hermail Singh EIC has already made a statement before the Committee that the peitioner has failed in the Supreme Court As per the functions of the Committee as provided in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly the matter which falls within the cognizance of a Court of Law cannot be considered by the Committee Therefore on this ground also the instant petition does not lie before the Committee Hence the petition is disposed of accordingly

---

2 PETITION RECEIVED FROM SMT KAVITA JAIN, MLA, REGARDING NO ACTION TAKEN BY URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT ON THE DECISION TAKEN BY THE STATE GOVERRNMENT TO SELL THE LEASED SHOP/PLOT TO THE POSSESSION/LEASE HOLDER

The Petition received from Smt Kavita Jain MLA reads as under

प्रतिष्ठा मे

चेयरमैन
याचिका समिति
हरियाणा विधानसभा चण्डीगढ।

विषय **प्रदेश मे नगर परिषद/पालिकाओ द्वारा लीज पर दी गई दुकाने एव प्लाट वर्तमान कब्जाधारियो को बेचे जाने के सरकार द्वारा दिये गये आदेश पर स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न करने बारे।**

1 यह है कि प्रदेश के शहरो एव कस्बो मे नगरपरिषद/नगर पालिकाओ द्वारा बडी सख्या मे दुकान एव प्लाट पिछले कई वर्षो से लीज पर दिये हुए है और समय समय पर मौजूदा कब्जाधारियो को मालिकाना हक देने की माग उठती रहती है।

2 यह कि सरकार ने नीति गत निर्णय लेकर ऐसी भूमि भवन व दुकाने जिनका मासिक किराया 500 रुपये से कम है वह वर्तमान कब्जाधारी को बेचने का निर्णय लेकर स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पत्र क्रमाक 4829 4903 दिनाक 31 जनवरी 2008 को सभी कार्यकारी अधिकारी एव सचिव को पत्र भेजकर सभी सम्पतियो का विवरण एक सप्ताह के अन्दर जिला उपायुक्त के माध्यम से निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये थे। (आदेश की कापी सलग्न है।)

3 यह है कि तीन वर्ष बीतने के बाद भी स्थानीय नगर परिषद एव नगर पालिकाओ ने इस विषय मे कोई कार्यवाही नही की और इन आदेशो को ठडे बस्ते मे डाल दिया जिससे प्रदेश मे लाखो ऐसी सम्पतियो के कब्जाधारक आज भी मालिकाना हक से वचित है।

4 यह है कि वर्ष 2010 मे विधान सभा के बजट सत्र मे मेरे द्वारा सोनीपत मे लगभग ढाई हजार लीज दारको को मालिकाना हक दिलवाने बारे उठाये गये प्रश्न के माध्यम से तत्कालीन विभाग के मत्री ने सरकार की इस योजना का खुलासा किया था।

5 यह है कि विधानसभा सत्र मे इस योजना का खुलासा होने के बाद मैने सोनीपत के जिला उपायुक्त को पत्र सख्या DC S/92 दिनाक 4 5 2011 भेजकर इस सम्बन्ध मे कार्यवाही करने बारे लिखा था जिस पर जिला उपायुक्त ने सोनीपत नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को पत्र क्रमाक 927/एल एन ए दिनाक 12 5 2011 भेजकर पूर्ण तथ्य सहित केस उपायुक्त कार्यालय मे भिजवाने के निर्देश दिये ताकि पुराने कब्जाधारिको को सरकार की हिदायत के अनुसार मालिकाना हक दिलवाने हेतु केस निदेशालय को भेजा जा सके। (पत्र की कापी सलग्न है)

6 यह है कि उपायुक्त द्वारा लिखे गये पत्र के चार माह बीतने के बाद भी इस सम्बन्ध मे कोई कार्रवाई अमल मे नही लाई गई है इसलिए इस याचिका के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि स्थानीय निकाय विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश देकर लीज/तहबजारी वाली सम्पतियो के कब्जाधरको को मालिकाना हक दिलवाया जाये तथा सरकार के आदेशो के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

हस्ता /
कविता जैन
विधायक सोनीपत।

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 21 09 2011 and the Department was asked to send the comments on 12 10 2011 The Department sent its reply on 10 01 2012 as under —

'इस सम्बन्ध मे प्रस्तुत है कि सरकार का निर्णय इस निदेशालय के यादी क्रमाक 8/156/88 6क 1 दिनाक 1 2 2006 द्वारा सभी उपायुक्तो को भेज दिया गया था। तदोपरात दिनाक 18 12 2007 10 3 2008 14 5 2008 14 7 2009 18 11 2009 1 4 2010 तथा दिनाक 7 1 2012 को स्मरण पत्र जारी किया गया जिसकी प्रति सभी नगरपरिषदो/नगरपालिकाओ को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की गई। इसके अतिरिक्त सोनीपत के लिए विशेष तौर पर नगरपरिषद सोनीपत को लिखा गया।

नगरपरिषद सोनीपत से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार 500/ रुपये से कम मासिक किराये पर दी हुई लीज भूमि 648 दुकाने 32 कुल सख्या 680 है। सरकार की हिदायतानुसार कब्जाधारियो को इन्हे बेचने बारे नगरपरिषद द्वारा प्रस्ताव क्रमाक 24(11) दिनाक 23 5 2011 को पारित किया है। नगरपरिषद सोनीपत मे स्टाफ की कमी होने के कारण मामले मे कुछ देरी हुई है अब स्टॉफ की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है तथा स्टॉफ पूर्ण होते ही केस पूर्ण करवा कर उपायुक्त सोनीपत की अध्यक्षता मे गठित कमेटी को उचित कार्रवाई हेतु भेज दिया जाएगा।

The Committee orally examined the Additional Director Urban Local Bodies Haryana Chandigarh in its meeting held on 11 01 2012 The Committee was not satisfied with the few lines reply and therefore desired the department to send complete detailed reply to the Committee within a period of 15 days

The department has sent an interim reply on 25 1 12 which reads as under —

विषयाधीन मामले मे सूचित किया जाता है कि सरकार के नोटिस मे आया है कि नगरपालिकाओ/ नगरपरिषदो की कुछ भूमि भवन व दुकाने लीज/तहबाजारी एव किराये पर दी हुई है और इस सम्पत्ति से नाममात्र आय प्राप्त हो रही है। इस मामले पर पुन विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि भूमि भवन तथा दुकाने जो काफी समय से किराये/लीज व तहबाजारी पर है और जिन दुकानो भूमि एव भवन का मासिक किराया 500/ रुपये से कम हो वह सम्पत्ति वर्तमान कब्जाधारी को बेच दी जाये। सरकार द्वारा नितिगत निर्णय लेकर अपने यादि क्रमाक 8/156/88 6क1 दिनाक 1/2/2006 हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्तो को अनुरोध किया गया था।

इस उददेश्य के लिए सम्पत्ति का विक्रय मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रत्येक नगरपालिका/नगरपरिषद के लिए सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता मे निम्न कमेटी का गठन किया गया —

1 सम्बन्धित उपायुक्त-अध्यक्ष

2 सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिका का प्रधान/प्रशासक सदस्य

3 सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिका का सचिव /प्रशासक सदस्य

4 कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण भवन तथा सडके विभाग सदस्य

सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही करने उपरान्त मामला सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाए।

इसके साथ यह भी सूचित किया गया कि इस केस मे एक्साईज्ड ऐरिया अम्बाला सदर एव नगरपरिषद अम्बाला सदर को शामिल नही किया गया है। अर्थात उक्त निर्णय नगरपरिषद अम्बाला सदर पर लागू नही है।

तदोपरान्त सरकार के निर्णय के दृष्टिगत गठित समिति कि सिफारिशो के अनुसार प्रस्ताव भेजने हेतु स्मरण कराया गया।

1 यादि क्रमाक सीटीपी/ए1/2006/22823 96 दिनाक 11 5 2006

2 यादि क्रमाक सीटीपी/ए1/2007/51615 34 दिनाक 18 12 2007

3 यादि क्रमाक सीटीपी/ए1/2008/9146 9230 दिनाक 10 3 2008

4 यादि क्रमाक सीटीपी/ए1/2008/19257 350 दिनाक 14 5 2008

5 यादि क्रमाक सीटीपी/ए 1/2009/25982 26074 दिनाक 14 7 2009

6 यादि क्रमाक सीटीपी/ए 1/2009/33181 278 दिनाक 31 8 2009

7 यादि क्रमाक सीटीपी/ए 1/2009/42201 94 दिनाक 18 11 2009

8 यादि क्रमाक सीटीपी/ए 1/2009/12495 580 दिनाक 1 4 2010

9 यादि क्रमाक डीयुएलबी/मिसलेनियस/1ए/2012/96 दिनाक 7 1 2012

2 हरियाणा विधानसभा सचिवालय से श्रीमती कविता जैन विधायक सोनीपत से नगरपरिषद सोनीपत द्वारा 500 रुपये से कम किराए कि दुकानो/भूमि को कब्जाधारियो को भेजने बारे नगरपरिषद द्वारा कार्यवाही न करने के समबन्ध मे पैटीशन प्राप्त हुई जिसका विवरण विभाग टिप्पणी सहित निम्मानुसार है —

1 यह है कि प्रदेश के शहरो एव कस्बो मे नगरपरिषद/नगर पालिकाओ द्वारा बडी सख्या मे दुकान एव प्लाट पिछले कई वर्षो से लीज पर दिये हुए है और समय समय पर मौजूदा कब्जाधारियो को मालिकाना हक देने की माग उठती रहती है।

लोगो की मागो को ध्यान मे रखते हुए कि इस निदेशालय द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तो/राज्य के सभी नगरपरिषदो/पालिकाओ को निम्न प्रकार से स्मरण कराया गया —

1 यादि क्रमाक सीटीपी/ए1/2006/22823 96 दिनाक 11 5 2006

2 यादि क्रमाक सीटीपी/ए1/2007/51615 34 दिनाक 18 12 2007

3 यादि क्रमाक सीटीपी/ए1/2008/9146 9230 दिनाक 10 3 2008

4 यादि क्रमाक सीटीपी/ए1/2008/19257 350 दिनाक 14 5 2008

5 यादि क्रमाक सीटीपी/ए 1/2009/25982 26074 दिनाक 14 7 2009

6 यादि क्रमाक सीटीपी/ए 1/2009/33181 278 दिनाक 31 8 2009

7 यादि क्रमाक सीटीपी/ए 1/2009/42201 94 दिनाक 18 11 2009

8 यादि क्रमाक सीटीपी/ए 1/2009/12495 580 दिनाक 1 4 2010

9 यादि क्रमाक डीयुएलबी/मिसलेनियस/1ए/2012/96 दिनाक 7 1 2012

राज्य कि किसी भी नगरपालिका/नगरपरिषद से सरकार कि नीति अनुसार 500 रुपये से कम मासिक किराए पर दी हुई भूमि/दुकानो के बेचने का प्रस्ताव निदेशालय मे प्राप्त नही हुए है।

2 यह कि सरकार ने नीतिगत निर्णय लेकर ऐसी भूमि भवन व दुकाने जिनका मासिक किराया 500 रुपये से कम है वह वर्तमान कब्जाधारी को बेचने का निर्णय लेकर स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पत्र क्रमाक 4829 4903 दिनाक 31 जनवरी 2008 को सभी कार्यकारी अधिकारी एव सचिव को पत्र भेजकर सभी सम्पत्तियो को विवरण एक सप्ताह के अन्दर जिला उपायुक्त के माध्यम से निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को भेजवाने के निर्देश दिये थे। (आदेश की कापी सलग्न है।)

* यह कि निदेशक शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा द्वारा अपने पत्र दिनाक 31 1 2008 द्वारा हरियाणा राज्य की सभी परिषद/नगरपालिको को सरकार द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र से नगरपालिकाओ/ नगरपरिषदो की भवन व दुकानो लीज/तहबाजारी एव किराये पर दी हुई है और इस सम्पत्ति से नाममात्र आय प्राप्त हो रही है। ऐसी दुकाने जिन का मासिक किराया इस समय 500/ रुपये से कम हो वह वर्तमान कब्जाधारी को बेच दी जाये। इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता मे तीन अन्य सदस्यो की भी कमेटी गठन करने बारे लिखा गया था। इसके अतिरिक्त पालिका की ऐसी दुकाने जो कि पुराने रेटो व लीज/किराये पर है कि पूर्ण विवरण सहित जैसे कि दुकान कब लीज/किराये पर दी गई कब कब किराये मे वृद्धि की गई और वर्तमान किराया क्या है प्रत्येक दुकान पर पूर्ण विवरण सहित रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से भेजने बारे भी रिपोर्ट मागी गई है।

3 यह है कि तीन वर्ष बीतने के बाद भी स्थानीय नगर परिषद एव नगर पालिकाओ ने इस विषय मे कोई कार्यवाही नही की और इन आदेशो को ठडे बस्ते मे डाल दिया जिससे प्रदेश मे लाखो ऐसी सम्पतियो के कब्जाधारक आज भी मालिकाना हक से वचित है।

* यह ठीक है कि कई वर्ष व्यतीत होने पर भी नगरपरिषद/ नगरपालिकाओ द्वारा इस विषय पर कोई कार्यवाही इसलिए नही कि गई की कब्जाधारक भी इस सम्बन्ध मे इसलिए रूचि नहीं लेना चाहते कि वह केवल नाममात्र का किराया देकर दुकाने/लीज भूमि का प्रयोग कर रहे है।

4 यह है कि वर्ष 2010 मे विधान सभा के बजट सत्र मे मेरे द्वारा सोनीपत मे लगभग ढाई हजार लीज धारको को मालिकाना हक दिलवाने बारे उठाये गये प्रश्न के माध्यम से तत्कालीन विभाग के मत्री ने सरकार की इस योजना का खुलासा किया था।

* इस सम्बन्ध मे स्पष्ट किया जाता है कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र मे सोनीपत मे 2500 लीज धारको का कोई प्रश्न प्राप्त नही हुआ वैसे भी नगरपरिषद सोनीपत से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 500/ रुपये मासिक किराये पर दी गई लीज भूमि कि सख्या 648 तथा दुकानो कि सख्या 32 इस प्रकार कुल 680 है।

5 यह है कि विधानसभा सत्र मे इस योजन का खुलासा होने के बाद मैने सोनीपत के जिला उपायुक्त को पत्र सख्या DC S/92 दिनाक 4 5 2011 भेजकर पूर्ण तथ्य सहित केस उपायुक्त कार्यालय मे भिजवाने के निर्देश दिये ताकि पुरने कब्जाधारिको को सरकार की हिदायत के अनुसार मालिकाना हक दिलवाने हेतु केस निदेशालय को भेजा सके । (पत्र की कापी सलग्न है।)

* पैटीशन के साथ सलग्न अनुलग्न से यह स्पष्ट हो रहा है कि उपायुक्त सोनीपत द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद सोनीपत को अपने पत्र क्रमाक 927 दिनाक 12 5 2011 द्वारा श्रीमती कविता जैन विधायक हल्का सोनीपत के पत्र दिनाक 4 5 2011 के प्रति उन द्वारा सरकार द्वारा जारी कि गई दृष्टि के दृष्टिगत व गठित कि गई कमेटी की प्रस्तावना पूर्ण तथ्यो सहित उनको भिजवाई जाए ताकि पुराने कब्जाधारियो को सरकार कि हिदायत अनुसार मालकाना हक दिलवाया जा सके परन्तु निदेशालय/सरकार के पास अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। नगरपरिषद सोनीपत की नवीनतम रिपोर्ट अनुसार उन द्वारा इस मामले मे जिन दुकानो का किराया 500/ रुपये से कम है उन कब्जाधारक को बेचने बारे प्रस्ताव क्रमाक 24(11) दिनाक 23 5 2011 को पारित करवाया गया है। अभी तक इस मामले मे आगामी कार्यवाही

न किए जाने का कारण पटवारी की आउटसोर्सिंग पोलिसी के तहत लम्बित बताया गया है। क्योकि उस द्वारा लीज भूमि का क्षेत्रफल खसरा नम्बर आदि का निरीक्षण करना है।

6 यह है कि उपायुक्त द्वारा लिखे गये पत्र के चार माह बीतने के बाद भी इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही अमल मे नही लाई गई है इसलिए इस याचिका के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि स्थानीय निकाय विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश देकर लीज/तहबजारी वाली सम्पतियो के कब्जाधारको को मालिकाना हक दिलवाया जाये तथा सरकार के आदेशो के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

* उपायुक्त सोनीपत द्वारा लिखे गए पत्र 4 माह व्यतीत होने पर कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध मे स्पष्ट किया जाता है कि नगरपरिषद सोनीपत द्वारा जिन दुकानो का मासिक किराया 500/ रुपये का है उनको कब्जाधारक को बेचने बारे प्रस्ताव क्रमाक 24(11) दिनाक 23 5 2011 को पारित करवाया गया है। इसके अतिरिक्त पटवारी के नियुक्ति के लिए उपायुक्त सोनीपत को अपने पत्र क्रमाक 4158 दिनाक 23 12 2011 अनुरोध किया गया कि जिस पर उपायुक्त सोनीपत द्वारा अपने पत्र क्रमाक 28 11 2011 उक्त स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है।

नगरपरिषद सोनीपत से जो दुकाने 500/ मासिक किराया पर दी गई है का प्रस्ताव उपायुक्त सोनीपत के माध्यम से उनकी सिफारिश सहित प्राप्त होने पर कब्जाधारियो को बेचने बारे सरकार की स्वीकृत हेतु भेज दिया जाएगा। जिनको अलग से स्मरण करवाया जा रहा है।

The Committee called the Deputy Commissioner Sonepat in its meeting held on 14 3 2012 and discussed the matter After hearing him the Committee made the following observations —

The matter has been discussed today in the meeting of the Committee Deputy Commissioner Sonepat Shri Pankaj Aggarwal along with Shri Arvind Kumar E O M C Sonepat are present Clarification has been sought from Deputy Commissioner in regard to the complaint made by Hon ble MLA Smt Kavita Jain to the Petitions Committee Deputy Commissioner Sonepat informed the Committee that there are instructions of the Government that the property which is on a long lease with the lessees and monthly rent is Rs 500/ or less that property may be sold to the present occupier The Committee was given a copy of Letter NO 8/156/ 88 6K T dated 1 2 2006 of the Financial Commissioner & Principal Secretary to Government Haryana Urban Development Department Consequently the Government also issued a notification under Haryana Management of Municipal Properties and State Properties Rules 2007 Under the said rules as per clause 8(2) Municipal Committee may sell a site or building by allotment with the prior approval of the Government Certain conditions have been laid down It has also been clarified by the Deputy Commissioner that a specific application has to be made by the lessee in this regard Process for inviting the application is already in process and even it has been published in the Daily Newspapers The Committee feels that the grievance of the Hon ble MLA has been seized to be looked into by

the Government and the proceedings are in process In view of this the petition is disposed off and Deputy Commissioner is asked to inform Smt Kavita Jain MLA Sonepat accordingly for the steps taken by him in this regard

---

3 PETITION RECEIVED FROM SMT KANTA RANI W/O SH NIHAL CHAND, MAHABIR MOHALLA, V P O KALANAUR (ROHTAK) REGARDING DUES AFTER RETIREMENT

The Petition received from Smt Kanta Rani W/o Sh Nihal Chand on 18 02 2012 is as under—

सेवा मे

चेयरमैन
पैटीटिशन कमेटी
हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

विषय सेवानिवृति उपरान्त मिलने वाले देय बारे।

श्रीमान जी

उक्त विषय पर आपके कार्यालय के क्रमाक एडीएमएन हुडा/एच/ए 3/2011/12758 दिनाक 21 10 2011 के सन्दर्भ मे।

मै कान्ता रानी दिनाक 31 10 2011 को सुखसहायक के पद से हुडा सब डिविजन भिवानी के कार्यालय से सेवानिवृत हुई थी। मैने अपना पैन्शन केस एव अन्य केसिज ग्रेच्युटी कम्युटेशन समय पर कार्यालय मे पूर्ण करके दे दिये थे। मुझे सेवानिवृत हुए तीन मास बीत चुके है परन्तु मुझे आज तक किसी प्रकार का कोई भी देय लाभ नही मिला है। मै एक विधवा औरत हूँ। मेरे पास गुजारा चलाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है।

अत मेरा आपसे विन्रम अनुरोध है कि मुझे देय लाभ तुरन्त प्रदान किया जाये अन्यथा मुझे विवश होकर न्यायालय का सहारा लेना पडेगा।

भवदीय

हस्ता/

(कान्ता रानी पत्नी श्री निहाल चन्द)
महाबीर मोहल्ला
गॉव व डाकखाना कलानौर रोहतक

The above Petition was placed before the Committee in its meeting held on 24 02 2012 and the Committee desired that comments of the concerned department may be obtained within 15 days The Committee did not receive any reply from the concerned department Therefore a reminder was issued on 06 04 2012 No reply was received Hence the Committee orally examined the departmental representatives in its meeting held on 02 05 2012 The Executive Engineer HUDA Hisar appeared before the Committee and informed that the case of releasing retiral benefits is now complete and the amount on account of leave encashment and DCRG has already been paid to her Order for releasing the GPF amount has been released today itself The Committee desired that all the orders releasing the retiral benefits as well as instructions of the Govt specifying the time within which all these retiral benefits should be released may be sent to the Committee The Committee received the orders releasing leave encashment DCRG amount Pension payment order order releasing commuted value of pension and GPF amount Since the grievance of the Petitioner was fully redressed the Committee disposed off the petition

---

4 PETITION RECEIVED FROM SHRI AFTAB AHMED, MLA NUH, HARYANA REGARDING SECURITY AT MLA FLAT CHANDIGARH

The Petition received from Shri Aftab Ahmed MLA Nuh Haryana reads as under —

I am Member of Haryana Legislative Assembly and at present residing at Flat No 103 Sector 3 Chandigarh There is no security arrangements in MLA Flats Recently a car has been lifted from Flat No 19 There is no restriction and no checking for entry of the strangers into the premises Some time un wanted persons are seen loitering around the Flats Cases of Minor thefts have also been reported Some time some smackers/drugs addicts are seen roaming during the night time

It is therefore requested that proper security arrangements in the MLAs Flats Chandigarh may kindly be provided to avoid un wanted incident

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 11 01 2012 and the Department was asked to send the comments on 14 02 2012 but no reply has been received The reply from the Department is awaited and the petition will be considered accordingly

The Committee considered the petition sent by Shri Aftab Ahmed MLA in the meeting held on 27 4 2012 After discussion the Committee observed that as the subject matter of this Petition relates to House Committee therefore the Petition may be sent to the House Committee for further action in the matter

The Committee disposed off the Petition and the Petition was sent to the House Committee accordingly

---

5 PETITION RECEIVED FROM THE SHRI NARAYAN DASS SHARMA S/O SH RAGHUNATH SHARMA, R/O WARD NO 9, GADRIYA MOHALLA, DISTT YAMUNA NAGAR REGARDING BEATING OF HIS SON BY THE SCHOOL TEACHER

The Petition received from Shri Narayan Dass Sharma S/o Sh Raghunath Sharma R/o Ward No 9 Gadriya Mohalla Distt Yamuna Nagar and referred to the Petition Committee by the Hon ble Speaker on 28 03 2012 reads as under —

श्रीमान जी

श्रीमान जी निवेदन है कि मेरा लडका कपिल कुमार 8वी कक्षा मे MLN मुकन्दलाल सीनियर स्कूल मे पडता है मेरे लडके को टीचर द्वेश भावना से मारते पीटते है जिसकी शिकायत मैने प्रिसीपल से की। प्रिसीपल ने मुझे बुलाया वहा उपस्थित एक टीचर व उसके साथ आये माम शिवकुमार उसके भाई ने प्रिसीपल के सामने मेरे कपडे खीचे व मारपीट की। मुझे बाहर खीचते हुए कहा कि इसे जान से मारेगे मैने किसी तरह अपनी जान बचाई। आपसे प्रार्थना है कि मेरे साथ इसाफ करो। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद

हस्ता/

(नारायण दास शर्मा)
पुत्र श्री रघुनाथ
वार्ड न0 9 रादौर
यमुनानगर।

The Committee orally examined the Petitioner and the Principal MLN Sr Sec School Radaur Distt Yamuna Nagar in its meeting held on 09 05 2012 After hearing the petitioner and the said Principal the Committee made the following observations

OBSERVATION OF THE COMMITTEE

The Committee observed that it is a sad state of affair that such a treatment has been given to a student of MLN Sr Sec School Radaur (Yamuna Nagar) To give a beating or slapping the students is not desirable The school Principal should have reported the matter about the incident to the parents instead of giving any beating to the student It is also surprising that some persons may be relatives of the teachers have given the beating to the father of the student The student has been withdrawn from the school and taken admission in the other school The inquiry was also conducted by the City Magistrate Yamuna Nagar where report is also on record The Committee is of the view that such like incident in future should never happen in the school To cut short the controversy the Principal as well as the teacher concerned against whom the parents are making the allegation will submit a written apology to the parents of the student and the copy of the same also be sent to the Committee within a period of 10 days The petition is disposed off accordingly

The Committee also received written apologies from the concerned Teacher and the Principal which have been placed on record

---

6 PETITION RECEIVED FROM SHRI PRITHVI CHANDER S/O SH NARATA RAM H NO 29 D, KHERA WALA MOHALA V P O BHAINSATIBA, PANCHKULA REGARDING DRAINAGE SYSTEM OF VILLAGE BHAINSATIBA

The Petition received from Shri Prithvi Chander S/o Sh Narata Ram H No 29 D Khera Wala Mohala VPO Bhainsatiba Panchkula reads as under —

सेवा मे

मान्यवर Chairperson
Petitions Committee
Haryana Vidhan Sabha
Haryana Chandigarh

विषय **ग्राम भैसाडिब्बा खेड़े वाले मौहल्ला की गली से पानी का निकास रोकने बारे।**

मान्यवर महोदय

सविनय प्रार्थना है कि साथ सलग्न पत्र द्वारा मैने आदरणीय कार्यकारी अधिकारी महोदय Municipal Corporation Sector 4 Panchkula को दिनाक 8 12 2011 को व्यक्तिगत तौर पर पत्र देकर लिखा था कि

सविनय प्रार्थना है कि खेडे वाला मौहल्ला ग्राम भैसाटिब्बा पचकूला मेरा मकान नम्बर 29डी है। मेरे साथ लगते मकान जिनके मालिको के नाम श्री राजिन्द्र कुमार सुपुत्र श्री बरखा राम कौम गडरिया श्री बरखा राम पुत्र श्री नत्थु राम कौम गडरिया व अमरजीत सुपुत्र श्री बरखा राम (गडरिया) है ने अपने मकान बनाते समय गली मे उन्होने मकान के Ramp बना दिए है जो काफी ऊचे है व अब हुई बरसात मे सारा पानी मेरे घर के पास जमा होकर मेरे मकान की नीव मे जा रहा है। भविष्य मे मेरा मकान गिर कर जान व माल की हानि होने की पक्की सभावना है।

मैने उपरोक्त पार्टियो को Ramp हटाने की प्रार्थना की तो उन्होने बताया कि उनके मकानो के नक्शे M C से पास है तथा वह Ramp नही हटाएगे।

मै अकेला आदमी उनसे डरता हूँ कि वह मेरा हर प्रकार से नुकसान कर सकते है।

आप कृपया अपने Building Inspector को उपरोक्त पार्टियो के आपके कार्यालय द्वारा पास नक्शो सहित भेजकर निरीक्षण करवा कर मुझे स्थल की स्थिति समझाए व मेरे मकान के पानी के निकास का प्रबन्ध करवाने की कृपा करे।

कृपया यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र निपटवाए ताकि मेरा मकान/जान व माल का नुकसान न हो

मैने इस पत्र की प्रति ग्राम भैसाटिब्बा के नम्बरदार श्री जगीर सिह को इस प्रार्थना के साथ भेजा था कि वह मेरी परेशानी को D C Panchkula के नोटिस मे लाकर हल करवाने की कृपा करे।

मेरे पत्र दिनाक 8 12 2011 को उसी दिन अर्थात 8 12 2011 को नम्बरदार ने साथ सलग्न पत्र द्वारा D C Panchkula को पत्र भेजकर लिखा था कि

सविनय प्रार्थना है कि साथ सलग्न पत्र sh Prithi Chand S/o Sh Narata Ram ने कार्यकारी अधिकारी M C पचकूला को भेजा है। पत्र मे लिखी पार्टियो ने गली मे रैप बनाए हुए है व प्रार्थी Prithi Chand का पानी का निकास बाधित हो गया है। मै गाव का नम्बरदार हूँ तथा इस बारे आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आप M C Panchkula को इस बार जाच करने के आदेश देने की कृपा करे।

मुझे आज तक इन्साफ नही मिला। मै अत्याधिक परेशान हूँ व आपसे हाथ जोडकर प्रार्थना करता हूँ कि उपरोक्त पत्रो के आधार पर माननीय D C Panchkula व M C Panchkula से उचित कार्यवाही करके रिपोर्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए लिखने की कृपा की जाए।

धन्यवाद सहित

भवदीय
हस्ता /
पृथी चन्द पुत्र श्री नराता राम
मकान नम्बर 29 डी खेडे वाला मोहल्ला
गाव व डाकखाना भैसाडिब्बा 134114

सलग्न/2 पत्र जिनका पत्र मे वर्णन है।
दिनाक 19 12 2011

सेवा मे

मान्यवर कार्यकारी अधिकारी महोदय
Municipal Corporation
Sector 4 Panchkula

विषय **ग्राम भैसाडिब्बा खेड़े वाले मौहल्ला की गली से पानी का निकास रोकने बारे।**

मान्यवर महोदय

सविनय प्रार्थना है कि खेडे वाला मौहल्ला ग्राम भैसाटिब्बा पचकूला मेरा मकान नम्बर 29डी है। मेरे साथ लगते मकान जिनके मालिको के नाम श्री राजिन्द्र कुमार सुपुत्र श्री बरखा राम कौम गडरिया श्री बरखा राम पुत्र श्री नत्थु राम कौम गडरिया व अमरजीत सुपुत्र श्री बरखा राम (गडरिया) है ने अपने मकान बनाते समय गली मे उन्होने मकान के Ramp बना दिए है जो काफी ऊचे है व अब हुई बरसात मे सारा पानी मेरे घर के पास जमा होकर मेरे मकान की नींव मे जा रहा है। भविष्य मे मेरा मकान गिर कर जान व माल की हानि होने की पक्की सभावना है।

मैने उपरोक्त पार्टियो को Ramp हटाने की प्रार्थना की तो उन्होने बताया कि उनके मकानो के नक्शे M C से पास है तथा वह Ramp नही हटाएगे।

मै अकेला आदमी उनसे डरता हूँ कि वह मेरा हर प्रकार से नुकसान कर सकते है।

आप कृपया अपने Building Inspector को उपरोक्त पार्टियो के आपके कार्यालय द्वारा पास नक्शो सहित भेजकर निरीक्षण करवाकर मुझे स्थल की स्थिति समझाए व मेरे मकान के पानी के निकास का प्रबन्ध करवाने की कृपा करे।

कृपया यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र निपटवाए ताकि मेरा मकान/जान व माल का नुकसान न हो अन्यथा मै आपके विरुद्ध court की शरण मे चला जाऊगा।

धन्यवाद सहित

भवदीय
हस्ता/
पृथी चन्द पुत्र श्री नराता राम
मकान नम्बर 29 डी खेडे वाला मोहल्ला
गाव व डाकखाना भैसाडिब्बा 134114

दिनाक 8 12 2011

इसकी एक प्रति श्री जगीर सिह नम्बरदार को भेजकर प्रार्थना है कि वह मेरी परेशानी को D C Panchkula के नोटिस मे लाकर हल करवाने की कृपा करे।

धन्यवाद सहित।

भवदीय
हस्ता/
पृथी चन्द पुत्र श्री नराता राम
मकान नम्बर 29 डी खेडे वाला मोहल्ला
गाव व डाकखाना भैसाडिब्बा 134114

दिनाक 8 12 2011

सेवा मे

मान्यवर D C पचकूला।

विषय **ग्राम भैंसाडिब्बा खेड़े वाले मौहल्ला की गली से पानी का निकास रोकने बारे।**

मान्यवर महोदय

सविनय प्रार्थना है कि साथ सलग्न पत्र Shri Prithi Chand s/o Sh Narata Ram ने कार्यकारी अधिकारी M C पचकूला को भेजा है। पत्र मे लिखी पार्टियो ने गली मे रैप बनाया हुआ है व प्रार्थी Prithi Chand का पानी का निकास बाधित हो गया है। मै गाव का नम्बरदार हू तथा इस बारे आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आप M C पचकूला को इस बारे जाच करने के आदेश देने की कृपा करे।

धन्यवाद सहित

भवदीय
हस्ता/

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 04 01 2012 and the Department was asked to send the comments on 13 01 2012

The Department sent its reply vide letter dated 20 03 2012 which reads as under —

From

Executive Officer
Municipal Corporation
Panchkula

To

The Secretary
Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Chandigarh

Memo No 7927 Dated 20 3 2012

Subject Regarding Drainage system of village Bhainsa Tiba Kherawala Mohalla

The site has been visited by Executive Officer and Municipal Engineer and matter examined thoroughly The said area of Bhainsa tibba is thickly populated locality which is existing adjoining to MDC Sector 4 Sewer lines had already been laid down in the whole area by HUDA Panchkula and about 90% of residents put their disposal in to the Sewer line The petitioner Sh Prithi Chand S/o Sh Narata Ram R/o H No 29D V P O Bhainsa Tibba have two exit/entrance to his house in two different streets The main entrance of the petitioner s house is existing in front of Goga Mari near Railway Vihar which is Main Street and all the residents of this street including petitioner put their house disposal into the sewer line and have closed their surface drains One another gate of petitioner s house is opening towards back side street near Khera having width 12 14 feet and about 90% residents of this street have also put their disposal into the Sewer line while petitioner and his neighbors are still using the surface drain and the waste water is accumulated on the road and residents of localities face a tough time crossing the street During inspection of the site all the residents of localities requested to connect the disposal of petitioner s house into the sewer line so that the street could be maintained neat and dean and moreover two feet wider than presently existing The said street is constructed with cement concerete having sufficient slope to carryover the direct storm water into the main drainage during rainy seasons Therefore it is submitted that the open drain of petitioner s house along with neighbors shall be connected into the sewer line

Executive Officer
Municipal Corporation
Panchkula

The Committee orally examined the Executive Officer and the Municipal Engineer in its meeting held on 02 05 2012 after hearing the Petitioner and the departmental representatives the Committee made the following observations

Shri O P Sihag Executive Officer Municipal Corporation Panchkula present in the meeting is directed to make the arrangements of the exit of the storm water of the house of the petitioner as well as the street effectively If there is any ramp or encroachment or hindrance in the street that should be removed immediately Petitioner is satisfied with the directions of the Committee and the petition is disposed off accordingly

---

7 GRIEVANCE OF RESIDENTS OF RAI WATER SERVICES DIVISION SONEPAT REGARDING INTERNAL CLERANCE OF DRAIN NO 6

The Hon ble Speaker Haryana Vidhan Sabha sent a note on 11 01 2012 to the Committee on Petitions highlighting the grievance of residents of Rai Water Service Division Sonepat as well as ineffective attitude of the Executive Engineer posted there which reads as under —

> The instant public complaint is a glaring example of negative as well as ineffective attitude of a Govt Officer namely Shri Anil Ram Dev XEN posted at Rai water services Division Sonepat who has scant regard for norms principles and responsibilities despite my repeated communications Whenever I requested him to redress the public grievance he turned blind eye to my request and took the matter in a very casual manner knowingly and deliberately which needs to be deprecated
>
> The work of internal clearance of drain no 6 is still unattended since 2010 despite the fact that the public is facing a problem due to non execution of work in practical manner The sorrows and sufferings of adjoining residents cannot be removed merely by paper work on files It is an admitted fact that the residents of villages in upper reaches of Sonepat city particularly village Jhari are facing a great problem but Shri Anil Ram Dev XEN who is overall responsible for redressal of public grievance in this regard believes in lame excuses rather than the tangible results The matter was pursued by my Secretary/Additional Secretary also but in vain
>
> As it is not customary for my office to enter into further correspondence with such an officer directly so such complaint can be dealt as per provisions of Rule 295 of our Assembly Rules taking the cognizance as a matter of breach of privilege but at this stage it would be more appropriate to refer the complaint to the Committee of Petitions of Haryana Vidhan Sabha so that immediate relief may be given to the sufferers and the wrongdoer be taken to task in accordance with law

The Committee orally examined Engineer in Chief Irrigation Department and the concerned Executive Engineer in its meeting on 18 02 2012 After hearing the departmental representatives the Committee asked the Engineer in Chief to depute S E Vigilance for conducting the inquiry in this case and submit the inquiry report to the Committee through the Engineer in Chief

The Committee further orally examined the Departmental representatives in its meeting on 09 05 2012 The inquiry report submitted by the Vigilance wing Sonepat was given to the Committee It was informed to the Committee that the work of this drain in the city area is being handed over to the Municipal Committee Sonepat After hearing the departmental representatives the Committee made the following observations —

> The matter has been thoroughly examined by the Committee Shri Harmail Singh Engineer in Chief Irrigation Department was also present in the meeting The matter has also been examined by the Vigilance Wing Sonepat The Department has now made internal clearance of Drain No 6 Sonepat At present grievances of the villagers have been redressed However the department particularly XEN concerned is directed that till the matter of handing over of this drain is decided at the Government level there shall be regular clearance of the said drain The Committee desired that Engineer in Chief Irrigation Department shall also supervise it from time to time Therefore the petition is disposed off accordingly

---

8 PETITION RECEIVED FROM SHRI RAMESHWAR DASS SHARMA AND OTHER RESIDETNS OF VILLAGE KHANPUR PO KANHERI, DISTRICT YAMUNA NAGAR AND REFERRED BY HON BLE SPEAKER REGARDING CONSTRUCTION OF STREETS AND DRAINS

The Petition received from Shri Rameshwar Dass Sharma and other residents referred by the Hon ble Speaker to the Committee reads as under —

सेवा मे

माननीय श्री कुलदीप शर्मा जी
अध्यक्ष
हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

विषय **शिकायत निवारण हेतु पेटीशन कमेटी के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बारे।**

आदरणीय अध्यक्ष महोदय

दिनाक 23 03 2011 को आपने यमुना नगर मे अपने स्वागत समारोह मे जनसमूह को सबोधित करते हुये हरियाणा विधान सभा मे विद्यमान पेटीशन कमेटी बारे अवगत कराया था। हम इस कमेटी के सम्मुख अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है।

हम गॉव खानपुर ब्लॉक मुस्तफाबाद जिला यमुना नगर के स्थाई निवासी है। गाव मे हमारी पैतृक सम्पत्ति है। सरकार ने अपनी उदार नीति अपनाते हुए गाव की पचायत को वर्ष 2009 10 मे निर्मल बस्ती योजना के तहत 50 लाख रुपये का अनुदान गाव के विकास के लिए दिया था। अनुदान प्राप्त होने पर पचायत विभाग ने गाव मे किए जाने वाले विकास कार्यो का सर्वे करवाकर कार्यान्वित हेतु कार्यकारी अभियन्ता

पचायती राज को सौपा था। एक गली जो हमारे मकान के सामने से होकर गूगा माडी की तरफ जाती है मे भी इस योजना के तहत गली को पक्का कराने व दोनो तरफ नालिया बनाने का कार्य होना था। इस गली मे पानी का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर होता हुआ दक्षिण की तरफ गूगा माडी के पास जहोड की तरफ है। गली की कुल लम्बाई लगभग 200 से 250 फुट है। गली मे कार्यकारी अभियन्ता पचायती राज द्वारा गली को पक्का करने व नालियो को बनाने का कार्य शुरू किया गया था। सारी गली मे निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था। दोनो तरफ नालिया बनाने का कार्य प्रगति पर था और लगभग 150 फुट नालिया दोनो तरफ बनाई जा चुकी थी। इन नालियो मे पानी का बहाव दक्षिण की तरफ है जहॉ यह गूगा माडी के पास जहोड मे गिर रहा है। गाव के घरो का सारा गदा पानी तकरीबन इस जोहड मे ही गिर रहा है। अचानक तत्कालीन सरपच ने बाकी बची नालियो का कार्य रुकवा दिया। स्वय नालिया बनाने का दिनाक 27 02 2010 को असफल प्रयास किया था।

हमने आशका जताते हुए पहले ही दिनाक 13 01 2010 को खण्ड विकास एव पचायत अधिकारी मुस्तफाबाद व कार्यकारी अभियता पचायती राज को लिखित शिकायत करते हुए अवगत कराया था कि सरपच अपने हित को ध्यान मे रखते हुए अपने परिवार के मकानो के आगे से गली मे नालिया नही बनने दे रहा है और केवल इस बाकी बचे 50 फुट के टुकडे के गली मे मौजूदा पानी के बहाव को पूर्व से पश्चित की बजाए पश्चिम से पूर्व की ओर बदलने की कोशिश कर रहा है। जो कि सरासर गलत है। पानी का बहाव बदलने के लिए पक्की बनाई जा चुकी गली को दोबारा तोडकर लगभग 1 या 1 5 फुट ऊँचा उठाना पडेगा। जिससे हमारे मकान नीचे की ओर रह जाएगे और इन घरो के गदे पानी की निकासी नालियो से नही हो पाएगी। पहले भी सरपच ने जहा जहा उसके मकान लगते है वहा उनके आगे नालिया नही बनने दी।

दिनाक 02 03 2010 को सरपच ने दोबारा फिर गली के इस बचे हुए हिस्से पर एक तरफ रतन सिह के मकान के साथ से नाली बनानी शुरू की थी। हमने इसकी सूचना तुरन्त उपायुक्त महोदय को दी थी। उपायुक्त महोदय ने हमारे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए बी०डी०पी०ओ० को मौके पर निरीक्षण करके की गई कार्यवाही से 7 दिन मे रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। यह प्रार्थना पत्र हमने उसी दिन बी०डी०पी०ओ० को दे दिया था तथा बी०डी०पी०ओ० ने उसी दिन मौके का निरीक्षण करके सरपच द्वारा गलत बनाई जा रही नालियो पर काम बद करने के आदेश दिये थे। इस विषय पर हमने दोबारा बी०डी०पी०ओ० साहब से कार्यालय मे सपर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन बी०डी०पी०ओ० साहब उपलब्ध नही हो सके। फोन पर सम्पर्क करने पर बी०डी०पी०ओ० साहब ने बताया कि गलत बनाई जा रही नाली के प्रयास मे सरपच के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। लगभग 1 वर्ष का समय बीत चुका है। उपायुक्त द्वारा भेजे गए हमारे प्रार्थना पत्र पर बी०डी०पी०ओ० साहब द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। इसकी कोई सूचना हमे नहीं है।

इसी दौरान सरपच ने गली के साथ बनाए गए नए मकानो के मालिक रतन सिह आदि से मिलकर अपनी ही पचायत के खिलाफ सिविल सूट करवाकर अदालत से यथा स्थिति के आदेश प्राप्त करवा लिए ताकि अपनी मर्जी के अनुसार बयान देकर अपनी अनाधिकृत कार्य पर मोहर लगवाई जा सके और केस की कार्यवाही के लिए पचायत के लीगल ऑफिसर होने के बावजूद भी अपने ही भाई को पचायत का वकील मुकरर्र कर दिया। जो पचायत का हित न देखकर अपने परिवार के हित मे ही कार्य कर रहा है। पचायत विभाग का लीगल ऑफिसर उपलब्ध होते हुए प्राईवेट वकील को नियुक्त करना किसी व्यक्ति विशेष को वित्तीय लाभ पहुचाना दर्शाता है। जो कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग भी है। अदालत का नाम आते ही

विभाग ने इस बारे कोई भी कार्यवाही करने के लिए मना कर दिया है जबकि न तो विभाग को पार्टी बनाया गया है और न ही विभाग को कोई ऐसा आदेश दिया है। इस समय केस कोर्ट मे लबित है। घरो का गदा पानी खुला गली मे फैल रहा है। जिससे भारी बदबू फैल रही है तथा बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है।

अदालत द्वारा सारी गली के कार्य पर यथा स्थिति के आदेश पारित नहीं किए गए है। केवल केस प्रापर्टी बारे ही यथा स्थिति के आदेश है। केस प्रापर्टी रतन सिह के मकानो के साथ बनाई जाने वाली नाली पर है। यदि गली के बाकी बचे हिस्से मे रघुराज सिह के मकानो के आगे से नाली बनाकर शेष गली मे बनाई जा चुकी नालियो मे जोड दिया जाये तो रतन सिह के मकानो का जो दूषित पानी गली मे फैल रहा है वह पहले से ही बनी नालियो के माध्यम से गाव के जोहड मे चला जाएगा जहॉ सारे गाव का दूषित पानी गिर रहा है जिससे गली मे फैल रहे प्रदूषण व बदबू नहीं फैलेगी तथा आने जाने वाले लोगो को कोई परेशानी नही होगी।

इसके अतिरिक्त अदालत को सही स्थिति से अवगत कराना भी आवश्यक है और यह कार्य पचायत विभाग ही कर सकता है या गाव की पचायत करे परन्तु न तो विभाग ही कोई कार्यवाही कर रहा है और न ही मौजूदा सरपच जबकि State Litigation Policy 2010 मे भी कार्यालयो मे लबित मामलो को शीघ्र निपटारा करने पर बल दिया गया है।

अत प्रार्थना की जाती है कि सारे तथ्यो की जॉच किसी उच्च अधिकारी से करवाकर तकनीकी विभाग की रिपोर्ट लेकर गली के बाकी बचे हिस्से मे भी दोनो तरफ पानी के मौजूदा बहाव के अनुसार नालिया बनाई जाए ताकि घरो का गदा पानी गली मे खुला न फैल कर नालियो के माध्यम से जोहड मे जा सके। तथा यह भी प्रार्थना की जाती है कि प्राईवेट वकील की जगह पचायत विभाग के लीगल अधिकारी को केस की पैरवी के लिए नियुक्त किया जाए ताकि अदालत को सही स्थिति से अवगत कराया जा सके। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी

दिनाक 28 03 2011

हस्ता०/
(रामेश्वर दास शर्मा)
व रमेश चन्द्र शर्मा आदि
गॉव खानपुर डा० कान्हडी कला
जिला यमुनानगर।

The Petitioner also attached letter dated 13 01 2010 written to the Executive Engineer Panchayti Raj Jagadhri and BDPO Mustfabad and letter dated Nil written to the Deputy Commissioner Yamunanagar which are on the record of Vidhan Sabha Secretariat

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 11 05 2011 and the Department was asked to send the comments on 12 05 2011

Copies of the letter dated 24 05 2011 written by Executive Engineer Yamuna Nagar to DC Yamuna Nagar and the map showing the drainage system in the concerned street letter of the office of Deputy Commissioner Yamuna Nagar were sent by the Financial Commissioner *vide* its letter dated 25 05 2011 which reads as under —

उपरोक्त विषय पर श्री रामेश्वर दास शर्मा निवासी कन्हेडी जिला यमुनानगर द्वारा माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधान सभा के सम्मुख याचिका दायर की है। यह पटीशन दिनाक 25 05 2011 को कमेटी के सम्मुख विचारार्थ निश्चित है। इस पटीशन मे मुख्य मत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना के तहत वर्ष 2009 10 के दौरान विकास कार्य करवाने हेतु ग्राम पचायत खानपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमाक पी०आर०ए० 1 2009/23053 84 दिनाक 22 06 2009 द्वारा मु० 50 00 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी से गलियो व नालियो के निर्माण करवाये जाने थे।

अत आपको पटीशन की छाया प्रति भेजकर अनुरोध है कि इस बारे आप अपनी स्पष्ट टिप्पणी 2 दिन के भीतर विशेष वाहक के माध्यम से इस कार्यालय मे भिजवाये ताकि हरियाणा विधान सभा सचिवालय को निश्चित तिथि से पूर्व उत्तर दिया जा सके।

Copies of Suit before the Civil Judge Senior Division Jagadhri reply thereto and the interim order in the matter were also placed on record

The Petitioner again sent a letter to the Committee on 22 06 2011 which reads as under—

सेवा मे

माननीय श्री बी०बी० बत्तरा जी
चेयर परसन याचिका समिति
हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

विषय **शिकायत निवारण हेतु पैटीशन कमेटी के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बारे।**

आदरणी अध्यक्ष महोदय जी

हम आपका ध्यान पहले से दिए प्रार्थना पत्र दिनाक 23 03 2011 की ओर दिलाना चाहते है।

इस विषय पर नम्र निवेदन है कि हम प्रदेश की इस सर्वोचय सवैधानिक सस्था के बहुत आभारी है जिसने हमारे प्रार्थना पत्र की जाच पडताल करवाकर सच्चाई जानने की कोशिश तो की। जाच पडताल उपरात विभाग द्वारा इस बारे मे विस्तृत रिपोर्ट समिति को भेजी गई है। रिपोर्ट मे हमारे द्वारा लगाए गए सभी आरोपो की पुष्टि होना पाया गया है। पानी का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए दक्षिण की तरफ गूगा माडी के पास मौजूद जोहड की ओर है। यही हमारी प्रार्थना थी कि इस गली के पानी के बहाव की तकनीकी विभाग से रिपोर्ट लेकर गली के दोनो ओर नालिया बनाई जाए। रिपोर्ट मे हमारे द्वारा लगाए गए इस आरोप की पुष्टि भी होती है कि भूतपूर्व सरपच ने इस गली के 50 फुट के टुकडे का निर्माण कार्यकारी अभियन्ता पचायती राज जिस द्वारा गली मे पेविग का कार्य किया गया है न करवाकर स्वय किया है और नाली के इस टुकडे के बहाव को पश्चिम से पूर्व की ओर कर दिया है। विभाग द्वारा रिपोर्ट मे अदालत द्वारा गली मे यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश के कारण बाकी कार्ट रुका हुआ दर्शाया गया है। इस बारे मे हम स्थिति स्पष्ट करना चाहते है।

यह सही है कि अदालत ने इस गली की मुतनाजा जमीन बारे स्टेटस को बनाए रखने के आदेश दिए है। परन्तु यह आदेश केवल केस मे दर्शायी गई केस प्रोपर्टी के बारे ही है न कि सारी गली के बारे मे। रिपोर्ट के साथ सलग्न नक्शे मे भी केस प्रोपर्टी लाल स्याही से अकित की गई है जो कि रतन सिह के मकान से लेकर सतपाल/जगशेर सिह के मकान तक है। वादीगण द्वारा भी अदालत मे केस प्रोपर्टी के लिए जो नक्शा साथ लगाया है उसमे भी रतन सिह के मकान से लेकर जगशेर आदि के मकान तक यथा स्थिति की माग की गई है और अदालत द्वारा इसी केस प्रोपर्टी पर यथा स्थिति बहाल रखने के आदेश दिए हुए है न कि सारी गली के लिए। मुतनाजा जमीन की नक्शे अनुसार कुल लम्बाई 49 फुट दिखाई गई है और विभाग द्वारा भी जो नक्शा साथ लगाया है उसमे यथा स्थिति वाली जगह की लम्बाई 50 फुट ही दिखाई है वादीगण द्वारा केस के साथ लगा गए नक्शे की छायाप्रति सलग्न है। इसलिए विभाग द्वारा यह कहना कि यथा स्थिति के कारण गली का बकाया कार्य रुका हुआ है तथ्यो पर आधारित नही है।

वास्तविक स्थिति यह है कि विभाग की रिपोर्ट अनुसार गली मे 150 फुट की नालिया पहले ही बनाई जा चुकी है। 50 फुट नाली पर केस है। गली की कुल लम्बाई लगभग 150+150+60=260 फुट है बीच मे जो यह 60 फुट का टुकडा बचा हुआ है। इस पर कोई स्टे नही है। जो 50 फुट नाली भूतपूर्व सरपच द्वारा बनाई दिखाई गई है उसका बहाव बदलने की कोशिश की गई परन्तु पानी तो अपने बहाव अनुसार ही जायेगा। इसलिए इस नाली मे रतन सिह के मकान का पानी जो गिर रहा है वह पूर्व की तरफ न जाकर ओवर फलो होकर गली मे फैल रहा है और प्राकृतिक बहाव अनुसार गली मे पश्चिम की तरफ होता हुआ पहले से विद्यमान 150 फुट की नालियो मे गिर रहा है। इन नालियो मे गिरने के लिए पानी 60 फुट गली मे खुला फैल रहा है यदि इस 60 फुट के टुकडे मे दोनो तरफ नालिया बनाकर पहले से ही विद्यमान नालियो मे जोड दिया जाए तो यह पानी खुले मे न फैलकर नालियो के माध्यम से बहाव अनुसार जोहड़ मे चला जाएगा। जहा पहले से घरो का वेस्ट पानी गिर रहा है जिससे आम गाव वासियो को भी आने जाने मे जो असुविधा हो रही है उससे बचा जा सकता है तथा घरो का यह वेस्ट पानी जो गली मे खुले मे फैलकर पदूषण फैला रहा है उससे भी बचा जा सकता है। इसलिए प्रार्थना है कि इस 60 फुट के टुकडे मे शीघ्र ही नालिया बनाने के लिये विभाग को आदेश दिए जाए।

जहा तक 50 फुट टुकडे पर यथा स्थिति के आदेशो का प्रश्न है। यथा स्थिति निरस्त कराने के लिए पचायत की तरफ से कोई कोशिश नही की जा रही है क्योकि भूतपूर्व सरपच ने अपने भाई को पचायत का वकील नियुक्त किया हुआ है। अपने ही भाई द्वारा किए हुए कार्य को वकील साहब कैसे गलत बता सकते है। उनको यह अच्छी तरह पता है कि नाली गलत बनाई गई हुई है जिसमे पचायत फड का दुरुपयोग हुआ है जिसके लिए भूतपूर्व सरपच के विरुद्ध कार्यवाही होना निश्चित है परन्तु पचायती राज एक्ट 1994 की धारा 53(5) मे यह स्पष्ट लिखा है कि सरपच पद से हटने के दो वर्ष के अन्दर ही किसी भूतपूर्व सरपच के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। उस दो वर्ष की समय सीमा को ध्यान मे रखते हुए ही भूतपूर्व सरपच अदालत मे यथा स्थिति निरस्त करवाने मे देरी कर रहा है। एक वर्ष हो चुका है और एक वर्ष और इसी तरीके से निकालना चाहता है। हमने विभाग के ध्यान मे भी यह बात लाई है कि जब तक पचायत के केस को पचायत का एल०ओ० नही लडता तब तक यथा स्थिति निरस्त नही हो सकती इसलिए आपसे प्रार्थना है कि प्राईवेट वकील की जगह सरकारी वकील यानी पचायत विभाग के लिगल ऑफिसर को पचायत का वकील नियुक्त करने के विभाग को आदेश दिए जाए जो अदालत मे सही स्थिति बयान कर सके।

अत नम्र निवेदन है कि समिति ऊपर लिखित तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए हमे शीघ्र न्याय दिलाने का कष्ट करे ताकि Justice delayed ,ustice denied वाली कहावत चरित्रार्थ न हो।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी

हस्ता०/

दिनाक 22 06 2011

रामेश्वर दास शर्मा
रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री मुकन्दी लाल
गॉव खानपुर डाकखाना कान्हडी कला
जिला यमुनानगर।

The Committee orally examined DDPO Yamuna Nagar Petitioner and Ex Sarpanch Village Khanpur in its meeting held on 13 07 2011 After hearing the said persons and going through the map the Committee observed as under —

> The matter in dispute is sub Judice in the Court of Civil Judge Jagadhri The Committee after hearing the parties feels that when the matter is already pending in the Court the party may seek the relief to redress his grievance from the Court The Petition is disposed of accordingly

The Petitioner again submitted another Petition to the Committee for reconsideration of the matter on 29 10 2011 which reads as under —

"सेवा मे

अध्यक्ष महोदय
याचिका समिति
हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ।

विषय **गॉव खानपुर ब्लाक मुस्तफाबाद मे निर्मल बस्ती योजना के तहत गलियॉ व नालियो के निर्माण बारे पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करना।**

श्रीमान जी

आपका ध्यान विधान सभा सचिवालय के पत्र न० HVS/Petition/2/2011/8866 71 दिनाक 1 7 2011 की ओर दिलाया जाता है।

उपरोक्त विषय के सदर्भ मे नम्र निवेदन है कि हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए समिति द्वारा मामले पर अदालत द्वारा यथा स्थिति के आदेश बहाल रखे जाने के कारण कोई भी कार्यवाही करने मे असमर्थता व्यक्त की थी। पचायत विभाग द्वारा भी जो रिपोर्ट समिति को भेजी गई थी उसमे भी मामले मे अदालत द्वारा यथा स्थिति बहाल रखे जाने के कारण गली का बाकी कार्य रुका हुआ दर्शाया गया था।

अब दिनाक 05 10 2011 को माननीय अदालत ने यथा स्थिति के अपने पहले से जारी आदेशो को आगे Extend नहीं किया है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अब गली के किसी भी भाग पर कार्य करने से अदालत की तरफ से कोई रोक नही है।

इस विषय पर विभाग पहले ही विस्तृत रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत कर चुका है। रिपोर्ट के साथ कार्यकारी अभियन्ता की Technical रिपोर्ट व साईट प्लान भी सलग्न किया गया है। रिपोर्ट मे साफ दर्शाया गया है कि रामेश्वर की बैठक से गुग्गा माडी की तरफ वाली गली का प्राकृतिक प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए दक्षिण की तरफ गुग्गा माडी के पास मौजूद जोहड की ओर है। रिपोर्ट मे यह भी दर्शाया गया है कि गली को पक्का करने (Paving) का कार्य पूर्ण हो चुका है। गाव मे निर्मल बस्ती योजना के तहत 50 लाख रुपये की राशि गलियॉ व नालियॉ बनाने हेतु स्वीकृत हुई थी जिसमे से 32 09 लाख रुपये की राशि खर्च हो चुकी है व कार्य प्रगति पर है।

रिपोर्ट मे सलग्न नक्शे को तीन भागो मे दर्शाया गया है लगभग 50 फुट का हिस्सा विवादित दिखाया गया है तथा 60 फुट का हिस्सा बिना नालियो के दिखाया है व 150 फुट मे गली के दोनो तरफ नालियॉ बनी हुई दिखाई गई है। मामले मे अदालत द्वारा यथा स्थिति बहाल रखे जाने के कारण गली का बाकी कार्य रुका हुआ दर्शाया गया है।

अब चूकि अदालत द्वारा यथा स्थिति के आदेशो को आगे Extend नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि हमारी याचिका पर पुनर्विचार करते हुए विभाग से प्राप्त हो चुकी रिपोर्ट को लागू करने के आदेश दिये जाये ताकि गली का जो कार्य यथा स्थिति के आदेशो के कारण रुका हुआ दर्शाया गया था उसे पूरा किया जा सके। यहॉ यह लिखना भी उचित होगा कि गली मे रतन सिह वगैरह के घरो का दूषित पानी खुले मे गली मे फैल रहा है जिससे आम आदमी को असुविधा हो रही है और हमारी बैठक/मकानो की नीवो को नुकसान पहुच रहा है जिनके गिरने तक का अदेशा बना हुआ है तथा यह दूषित पानी प्रदूषण फैलाने के अतिरिक्त बीमारी फैलने के अन्देशो को भी बढावा दे रहा है। अत जनहित को ध्यान मे रखते हुए गली का बकाया कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करे। हम आपके अति धन्यवादी होगे।

प्रार्थी

हस्ता०/

दिनाक 29 10 2011

रामेश्वर दास शर्मा
रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री मुकन्दी लाल
गॉव खानपुर डाकखाना कान्हडी कला
जिला यमुनानगर।

The Petition was placed before the Committee on 09 11 2011 and the DDPO was asked to send the comments which was not received and a reminder was sent on 29 12 2011 and 23 1 2012

The Committee in its meeting held on 09 05 2012 orally examined the DDPO Yamuna Nagar and the petitioner During the course of oral examination the petitioner was informed that there was a stay by the Court in this matter and the Law Officer Yamuna Nagar has also advised that due to stay order there cannot be any construction of drain The Petitioner alleged that the Report has been changed and the department is giving two different reports before the Committee and the Court The Committee asked him to file an affidavit and appear before the Committee on 16 05 2012 The DDPO Yamuna Nagar was also asked to appear before the Committee on that day

On 16 05 2012 the Petitioner and the DDPO were orally examined The Petitioner filed an affidavit which has been placed on record After hearing the petitioner and the DDPO the Committee made the following observations —

'The suit is pending before Ms Aarti Singh Civil Judge(J D) Jagadhri titled as Residents of Village Khanpur Tehsil Jagadhri District Yamuna Nagar Versus Shri Rameshwar Dass who is a Defendant at serial No 4 and the Court has passed a status quo order in the suit So far as dispute within the parties is concerned once a status quo order is passed it means that the matter is under consideration of the Court According to clause 4 of Rule 274 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly any matter which falls within the cognizance of a Court of Law having jurisdiction in any part of India or a Court of Enquiry or a Statutory Body or a Commission cannot be looked into by the Petitions Committee Since the matter is pending before the Court the Committee feels its inability to entertain this petition Therefore the petition is disposed off as the Committee has no jurisdiction to entertain this Petition The Committee also desired that the documents in regard to the petition may be returned back to the Petitioner under receipt if he desires

---

9 PETITION RECEIVED FROM SH JEEVANGAMBHIR, MATHS TEACHER, 1589, SECTOR 17, HUDA JAGADHRI 135003 REGARDING REQUEST FOR RELEASING OF HIS SALARY

The Petition received from Sh Jeevan Gambir Maths Teacher 1589 Sector 17 HUDA Jagadhri reads as under —

Please refer to my letters dated 19 12 2011 & 19 1 2012 (sent through registered post)

It was stated in my letters under reference that I had to quit the job of your School due to domestic reason Mandatory condition of one month s notice was not applicable to me as I was working purely on temporary basis on unsanctioned post Also no appointment letter was issued to me With holding of my salary for the period from 1 11 2011 to 9 12 2011 on this score was not justified Moreover

the job of teaching was performed by me sincerely & effectively & there was no complaint of any kind against me so long as I served I therefore requested to your good self to release my salary It was also requested to intimate when I or my father duly authorized was to attend your School for the purpose It was further requested to your good self to issue me an experience certificate for the period I worked under your kind control

It is regretted to point out that your good self have turned a deaf ear to all my cries as no response to any one of my letters has been received to me till date Non payment of my salary amounts violation of Govt instruction in this regard The salary in question @8500/ p m works out to be Rs 10 968/ for the period from 1 11 2011 to 9 12 2011 which is not a small amount & school would not be poor in case it gives to me

I therefore request to your good self once again to release above said salary & to issue an experience certificate to me for the period I workd under your kind control & it may be intimated when I or my father duly authorized should attend your school for the purpose

With warm regards

Dated 17 02 2012

Very faithfully yours
Sd/
(Jeevan Gambhir)
B Sc B Ed M Sc (Maths)
Maths Teacher # 1589
Sector 17 HUDA
Jagadhari 135002

The Petition was placed before the Committee held on 24 02 2012 and the Committee desired that the comments of the concerned department may be obtained within a period of 15 days The department was asked to send the comments on 05 03 2012 and a reminder was sent on 06th April 2012

The Committee in its meeting held on 09 05 2012 orally examined the Director Higher Education Haryana After hearing the departmental representatives the Committee made the following observations —

Inspite of the notice served upon the complainant did not come The Director Secondary Education Haryana has placed some documents on the file which state that the petitioner worked on unsanctioned post purley on temporary basis from 1 7 2010 to 9 12 2011 The Principal in his letter has stated that the whole matter has been closed and salary has been released After perusal of these documents the petition is also disposed off accordingly and the file is consigned to the records

10 PETITION RECEIVED FROM SH RISHI PAL S/O SH SITA RAM, VILL SAMORA TEHSIL INDRI, DISTT KARNAL REGARDING ALLEGED ATROCITIES BY SH PRITAM SINGH, SHO INDRI

The Petition received from Sh Rishi Pal S/o Sh Sita Ram Vill Samora Tehsil Indri Distt Karnal reads as under —

सेवा मे

चेयरमैन
याचिका समिति
हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ।

विषय थाना इन्द्री एस एच ओ प्रीतम सिह द्वारा नाजायज एकतरफा चालान करने हेतु।

माननीय महोदय

प्रार्थना यह है कि 27/2/2012 को हमारे गाव मे खुला दरबार लगाया गया था। उपायुक्त महोदय बतोर मुख्य अतिथि थे।

अतरसिह पुत्र रतिराम कौम लुहार ने खुले दरबार मे पेश होकर कहा था कि जसपाल व विनोद पुत्र हुकमचन्द एव प्रदीप कुमार पुत्र जगमाल कौम गडरिया ने हमारे घर पर हमला बोला है और हमारा नुकसान किया है और जान से मारने की धमकी दी है।

अतर सिह व सतपाल आदि का घर पास पास है। लगभग 30 सालो से इकट्ठे रह रहे है। कभी कोई ऐसा झगडा नहीं हुआ। दिनाक 27/2/2012 को भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। अत अतर सिह ने झूठ बोलकर एस एच ओ प्रीतम सिह से मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। एस एच ओ प्रीतम सिह ने कहा कि मुझे डी सी महोदय ने आदेश दिया है तब मैने मुकदमा दर्ज किया है। जबकि दिनाक 23/2/2012 को अतर सिह व उसके परिवार वालो ने तीस साल पहले बने मकान का दरवाजा सीताराम व सतपाल आदि के खेत मे खोलने की कौशिक की थी और खेत मे खडी फसल व सरसो को नष्ट करना चाहते थे। थाना इन्द्री मे इसकी शिकायत की गई तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसका थाने का रजिस्टर न0 213=5डी 27/2/2012 है।

यह कि 29/2/2912 को गाव के पूर्व सरपच व पच व वर्तमान सरपच श्री बलबीर सिह सैनी व मौजूद लोग करनाल उपायुक्त महोदय से मिले थे और कहा कि दिनाक 27/2/2012 को गाव मे इस तरह का कोई झगडा नही हुआ था और एस एच ओ प्रीतम सिह ने नाजायज एकतरफा चालान कर दिए इस पर जब उपायुक्त महोदय से बात की तब महोदया जी ने जवाब दिया कि मैने ऐसा आदेश नही दिया था। मैने केवल मामले की छानबीन के लिए कहा था। इसी वाक्या बारे एक दरखास्त उपायुक्त महोदय करनाल को 29/2/2012 को दी थी। प्रति सलग्न है।

अत माननीय महोदय जी से प्रार्थना है कि इस घटना की निष्पक्ष जाच की जाए व एस एच ओ प्रीतम सिह इन्द्री की मिलीभगत की जाच की जाए व एस अच ओ प्रीतम सिह को बरखास्त किया जाए। झूठा मुकदमा वापस लिया जाए। दोषीगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी
हस्ता/
ऋषिपाल पुत्र श्री सीता राम निवासी गाव समौरा
तहसील इन्द्री जिला करनाल।

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 27 04 2012 The Committee considered the Petition and decided that petitioner as well as Sh Pritam Singh Ex SHO Police Station Indri may be asked to appear before the Committee on 09 05 2012 The SHO was also asked to send his reply in writing which was received and the same reads as under —

सेवा मे

श्रीमान अध्यक्ष महोदय

PETITION COMMITTEE

HARYANA VIDHAN SABHA CHANDIGARH

विषय परिवाद रिशिपाल पुत्र सीताराम वासी समौरा

श्रीमान जी

निवेदन है कि परिवाद अजाने रिशिपाल के विषय मे जहा तक मेरे नोटिस मे है वो इस प्रकार से है कि एक दरखास्त अतरसिह पुत्र रति राम लुहार ने परिवादी व उसके पुत्रो के विरुद्ध लडाई झगडे बारे मे उनके विरुद्ध थाना इन्द्री मे दी थी जिस बारे HC VINOD KUMAR ने दिनाक 24 2 2012 को रपट न0 23 रोजनामचा थाना इन्द्री दोनो पक्षो के विरुद्ध निवारक कार्यवाही अमल मे लाई थी जो कलन्दरे की फोटो प्रति साथ मे सलग्न है और फिर दिनाक 27 2 12 को गाव समौरा मे DC महोदय करनाल का खुला दरबार था। जिसमे दोनो पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध बाबत झगडा प्लाट पेश हुए और मौजुदा सरपच DC महोदय करनाल के सामने पेश हुए थे कि मौजुदा सरपच ने आपस मे दोनो पक्षो की बात करवाने बारे समय ले लिया। जबकि दरबार चल ही रहा था तब अतर सिह पुत्र रति राम लुहार वासी समौरा पक्ष दरबार ने भाजे 2 आये और कहा कि उनके मकान का दरवाजा तोड रहे है और उनके साथ मारपीट की है। DC महोदय करनाल के आदेश अनुसार पुलिस तुरन्त मौके पर गई। फिर अतर सिह ने जो शिकायत लिख कर ASI JAGBIR SINGH को दी उस पर उसने मुकदमा न0 64/27 2 12 U/S 323 427 452 506 IPC दर्ज किया और तफ्तीश अमल मे आई। दौराने तफ्तीश रिशीपाल जिस पक्ष को मदद करता है उनके विरुद्ध उपरोक्त मुकदमा दर्ज हुआ था और वो चाहते थे कि मुकदमा के मुदई के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए। जिस पर मैने ASI JAGBIR SINGH थाना इन्द्री को निर्देश दिए कि जो कार्यवाही उचित बनती है वो ही की जावे। जो FIR 64/12 उपरोक्त की फोटो प्रति साथ मे सलग्न है। फिर मेरा तबादला H A P MBN को हो गया और मै थाने से चला गया। फिर एक परिवाद 240 PDC दिनाक 12 3 12 अजाने सीताराम थाने से प्राप्त हुई जिस पर ASI JAGBIR SINGH व SHRI DEEPENDER SINGH SI/SHO द्वारा जाच करके रिपोर्ट की हुई है। जिसकी फोटो प्रति साथ मे सलग्न है।

अत ना तो मैने किसी के साथ दुर्व्यहार किया है और न ही किसी प्रकार की परिवाद मे लगाये गये आरोप सत्य नही है। अत मेरे बारे दी हुई शिकायत को फाईल किया जावे।

हस्ता/

SI प्रीतम सिह न0 234/RR

तत्कानील प्रबधक आफसर

थाना इन्द्री करनाल

वर्तमान 4th BATLIAN

HAP MADHUBAN

The Petitioner appeared before the Committee on 09 05 2012 but Sh Pritam Singh did not turn up

The Committee orally examined the Petitioner in the presence of Sh Pritam Singh Ex SHO on 06 06 2012 After hearing the petitioner the Committee made the following observations

The Petitioner has been heard in person The Ex SHO Indri Shri Pritam Singh Saini is also present He has been transferred to HAP Madhuban It is a disputed inter se party case regarding possession or justification for filing petition against the SHO If he had any grievance against the action of the SHO then he was at liberty to move an application to the higher authority i e S P /DIG for lodging the FIR against the SHO or he could have taken the shelter of the court also

The petition was disposed of accordingly

---

11 PETITION RECEIVED FROM SH CHANDERPARKASH SAINI, H NO 280/20, SAINIPURA, ROHTAK 124001 REGARDING COMPENSATION IN LIEU OF ACQUIRED LAND

The Petition received from Sh Chanderparkash Saini H No 280/20 Sainipura Rohtak reads as under

प्रतिष्ठा मे

The Chairman
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

विषय अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा देने बारे।

श्रीमान जी

निवेदन यह है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के सेक्टर 6 रोहतक से बाइपास रोड निकालने के लिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2004 मे मेरी जमीन (मुरब्बा/किला नबर 62/16/2 तथा 62/16/3 अतर्गत ग्राम पाडा हाल हुडा सेक्टर 6 रोहतक) को अधिग्रहीत कर लिया था। इस जमीन के एक हिस्से पर बाईपास रोड बनाने के बाद निदेशक शहरी सम्पदा विभाग हरियाणा पचकूला के पत्र क्रमाक 12529 दिनाक 3 11 2006 (जिसका जिक्र इस पत्र के साथ सलग्न भूमि अर्जन अधिकारी रोहतक द्वारा लिखे गये पत्र मे भी किया गया है) के तहत बाकी बची जमीन को अधिग्रहण से तो मुक्त कर दिया गया मगर सडक बनाने के लिए इस्तेमाल की गई मेरी जमीन का मुआवजा आज तक रिलीज नही किया गया है।

हालाकि भूमि अर्जन अधिकारी रोहतक द्वारा मेरी अधिग्रहित जमीन के मुआवजा सबधी एक पत्र (क्रमाक 8409) प्रशासक हुडा रोहतक को दिनाक 5 10 09 को भेजा गया था बावजूद इसके मेरी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। इसी मामले से सबधित एक पत्र (क्रमाक 10578)

प्रशासक हुडा रोहतक की तरफ से डायरेक्टर अर्बन इस्टेट हरियाणा को 29 10 09 को भी भेजा गया था मगर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

श्रीमान जी मै अपनी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा लेने के लिए पिछने कई सालो से प्रशासक हुडा रोहतक तथा भूमि अर्जन अधिकारी रोहतक के कार्यालयो के चक्कर काट कर थक चुका हू मगर आज तक मेरी जमीन का मुआवजा रिलीज नही किया गया है।

कृपया करके मुझे मेरी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा जल्द से जल्द दिवाने का कष्ट करे ताकि मेरी इस समस्या का निदान हो सके।

सादर।

प्रार्थी

हस्ता/
(चन्द्र प्रकाश सैनी)
म न 280/20
सैनीपुरा रोहतक 124001

The Petition was placed before the Committee in its meeting on 27 04 2012 and the department was asked to send its comments on or before 09 05 2012 The Administrator HUDA Rohtak sent his reply vide Memo No 4663 dated 08 05 2012 which reads as under

In this regard Land Acquisition Officer Rohtak has intimated vide his letter No 1254 dated 08 05 2012 (copy enclosed) that he has received the order from Director General Urban Estate Haryana Panchkula on 01 05 2012 regarding the land acquired for road The payment of compensation of acquired land Killa No 62/16/1 2 3 can be collected from his office on 11 05 2012

The Committee also received a letter dated 05 06 2012 from the Land Acquisition Officer Urban Estate Rohtak which reads as under

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे सैक्टर 6 रोहतक मे ग्राम पाडा की भूमि बरुवे अवार्ड न० 5 दिनाक 29 12 2004 को अर्जित हो गई थी। कब्जा सम्पदा अधिकारी हुडा को दिया जा चुका है। निदेशक शहरी सम्पदा विभाग हरियाणा पचकूला के पत्र क्रमाक 12529 दिनाक 3 11 2006 को मुरबा/किला न० 62/6/1 (3 6) 16/2(1 0) 16/3(1 0) का कुल रकबा 6 क0 6 म0 रिलीज किया गया था जबकि पुन ततीमा काटा गया उसमे से मुरबा/किला न0 62/16/1(2 7) 16/2(1 9) 16/3 (0 7) का कुल रकबा 1 क० 4 म० रिलीज बनता है तथा अर्जित रकबा 62/16/1 (3 13) 16/3(0 3) का कुल रकबा 3 क० 16 म० बनता है तो कि शिजरा सलग्न है।

भूमि अर्जन अधिकारी
शहरी सम्पदा विभाग रोहतक।

The above reply was placed before the Committee in its meeting held on 06 06 2012 The Committee made the following observations

The petitioner has made a request that his land has been acquired but vide notification and award mentioned in the application he has stated that the land acquisition compensation has not been released in his favour inspite of many reminders The Committee has received a request/intimation letter No 2066 dated 05 06 2012 from the LAO Urban Estate Rohtak in which he has stated that on 09 05 2012 an amount of ₹ 3 32 700/ has been paid to the petitioner It looks that his claim has been satisfied and today the petitioner was also called to appear in person before the Committee but he did not appear The petition is disposed of in view of the observation made above

---

12 GRIEVANCE OF RESIDENTS OF VILLAGE PABNERA, DISTT SONEPAT REGARDING REMOVAL OF STONES LYING IN THEIR FIELDS

The Hob ble Speaker Haryana Vidhan Sabha sent a note on 04 01 2012 to the Committee on Petitions highlighting the grievance of residents of village Pabnera Distt Sonepat as well as ineffective attitude of the Executive Engineer posted there which reads as under —

In our democratic system the Speaker is the conventional and ceremonial Head of Legislature He represents the collective voice of the House and its dignity On account of his impartiality he remains above all considerations of Party or Political career But now a days due to some negative as well as passive attitude of particular government officials his constituents have to face day to day hardship and agony which needs to be deprecated to bring betterment

The instant complaint submitted by the villagers of village Pabnera is an example of default on the part of Sh Amrit Kumar Raghuvanshi XEN Sonepat Water Service Division Sonepat who has no sensitivity to the public sufferance Some inhabitants of village Paonera had met me personally in the month of July 2011 with the request for removal of stones lying in their fields since last season which was to be got done by the above officer from the concerned contractor To provide immediate relief to the poor farmers I had instructed the concerned officer to look into the matter personally but in vain On receipt of repeated requests in this regard I instructed my Secretary (Sh Kuldip Singh) to pursue the matter for providing immediate relief to the complainants My Secretary also sent communications to the concerned Officers in the matter which is a matter of record

As it is not customary for the office of the Speaker to enter into correspondence with the private individual therefore the matter was to be resolved at the office level My Secretary brought the relevant facts to my notice regarding non compliance of the assurance given by Sh Amrit Kumar Raghuvanshi XEN However he was given time by the undersigned to meet me on 9 11 2011 personally

so that genuine hardship of the farmers may be removed without further delay But to my surprise the said XEN did not suggest any tangible and positive result on his appearance

I know that Rule 295 of our Assembly Rules empowers me with discretionary powers to refer such matter/complaint to the Committe of Privileges for investigation and report as a matter of breach of privilege yet such power should be used sparingly and rarely

However it is pertinent to mention here that it is an act of deliberate omission on the part of said XEN The complaint of the villagers is not only specific but of great public importance Deliberate omission and willful suppression of facts amounts to misconduct on the part of said official which should be viewed seriously The genuine hardship and agony of above villagers needs immediate solution Default on the part of administrative machinery bring this complaint within the ambit of a petition therefore this observation of mine be sent to the Committee of Petitions of Haryana Vidhan Sabha for immediate necessary action in the matter

The Committee orally examined the Engineer in Chief Superintending Engineer and the concerned Executive Engineer namely Sh Amit Kumar Raghuvanshi of the Irrigation Department in its meeting held on 18 01 2012 The Committee was also given reply to this petition which reads as under

In this respect it is submitted that a work consisting 18 no stone studs was constructed for protecting Mimarpur complex and the stone for construction of this work was stacked in the fields of the petitioners The work of construction of stone studs was completed on 31 7 2011 but small stones remained at the site in the fields of the petitioners This happened due to the fact that there was early rains resulting into flooding of the fields and the contractors could not pick up these small stones due to slushy/muddy conditions in the fields After seeing that the departmental contractor was not lifting the remains of the stones from their fields the petitioners sent petition dated 23 9 2011 for removing the stones lying in their fields so that they are able to cultivate their fields As soon as the fields were dried up after floods all these stones were removed by contractor by 19 10 2011 except one acre It is submitted that due action has been taken within about 27 days of the application from the petitioners This work would have even been carried out much earlier but this could not be done due to slush like conditions in the fields

Due action stand taken by the department within reasonable time Therefore it is requested that Hon ble Committee on Petitions may drop this matter please

During the course of oral examination the Committee was informed that the stones have been removed but there was some delay in this matter The work of construction of studs completed on 31 07 2011 Thereafter due to floods the water was there in the fields due to which the machine could not work The Committee discussed the details of completion of this work To a specific question by the Committee to the Engineer in Chief that whether he was satisfied with the

explanation given by the concerned Executive Engineer he replied that he was not fully satisfied

The Committee again discussed this matter in its meeting held on 16 05 2012 and directed the Engineer in Chief to scrutinize the explanation given by the concerned Executive Engineer and report to the Committee The Committee in its meeting held on 13 06 2012 was informed by the Engineer in Chief that he asked for the report of the concerned SE in this matter and after perusal of the same he is of the view that there is no fault on the part of concerned Executive Engineer

In view of this the Committee disposed off the petition accordingly

---

13 PETITION RECEIVED FROM SH MAHINDER SINGH AND ORS R/O OF (PADA) AZADGARH, KISHANPURA, ROHTAK REGARDING PAYMENT OF COMPENSATION AS PER ENHANCED AWARD BY THE DISTT COURT

The Petition received from Sh Mahinder Singh & Ors reads as under

सेवा मे

चेयरमैन पेटिसन कमेटी
हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

श्रीमान जी

निवेदन है कि उपरोक्त विषय के सदर्भ मे हमारी जमीन सैक्टर 4 5 व 6 के लिए अधिग्रहण की गई थी इसका अवार्ड न0 4 व 5 दिनाक 29 12 2006 को हो गया था जिसके विरूद्ध हमने कीमत कम देने की वजह से जिला न्यायालय रोहतक मे अपील की थी जिसका फैसला एल ए सी केस न0 193 एस व एल ए सी केस न0 481 दिनाक 24 12 2010 व दिनाक 30 11 2010 को हो गया था जिसमे हमारी जमीन की कीमत 8 65 435/ रुपये दिनाक 1 1 2000 से लगाई गई थी। अब तक हमारी जमीन की कोर्ट द्वार बढाई गई कीमत हुडा विभाग ने न्यायालय मे जमा नही करवाई है। जिस कारण हमे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हमने हुडा विभाग रोहतक को लिखित मे कई बार अवगत कराया लेकिन हुडा विभाग द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है।

अत जनाव से प्रार्थना है कि हमारी जमीन की न्यायालय द्वारा बढाई गई कीमत बयाज सहित जल्द से जल्द जमा करवाने का कष्ट करे।

आपकी अति कृपया होगी।

प्रार्थी

हस्ता/
(पाडा) आजादगढ किशनपुरा
रोहतक।

The Committee asked the Land Acquisition Officer Urban Estate Sector 1 Rohtak to appear before the Committee on 13 06 2012 The Committee discussed the matter with him and after discussion made the following observations

Sh Subhash Mehta Land Acquisition Officer alongwith his subordinate staff appeared before the Committee He admitted that Hon ble Court awarded an enhanced compensation amounting to Rs 8 65 435/ He further stated that if applicants submit the copy of the Execution Application and copy of L A C in their office then their payment will be released within one month

In view of the observation made by the Committee the applicants may be informed and the Petition is disposed off accordingly

---

14 PETITION RECEIVED FROM DR JARNAIL SINGH S/O SH JASMAIR SINGH R/O VILL ALAHAR, TEHSIL JAGADHRI, DISTT YAMUNA NAGAR REGARDING BEATING AND ABUSING OF HIS SONS

The Petition received from Dr Jarnail Singh reads as under

सेवा मे

श्री माननीय चेयरमैन साहब जी

पेटिसन कमेटी

हरियाणा विधान सभा हरियाणा।

विषय ए०एस०आई० देवेन्द्र राणा व ए०एस०आई० दिला राम द्वारा बच्चो से की गई नाजायज मारपीट व बदतमीजी की शिकायत करने बारे।

श्रीमान जी

प्रार्थी जनाव की सेवा मे निम्नलिखित निवेदन करता है

1 यह कि प्रार्थी डॉक्टर जरनैल सिह पुत्र श्री जसमेर सिह निवासी गाव अलाहर तह० जगाधरी जिला यमुनानगर का रहने वाला है और प्रार्थी एक अमन पसन्द व कानून प्रिय व्यक्ति है जोकि कानून मे पूरा विश्वास रखता है।

2 यह है कि मेरे दोनो बच्चे मेजर सिह व तेजिन्द्र सिह यमुनानगर मे किराये के मकान मे रहते है क्योकि वे यमुनानगर तेजली स्टेडियम मे गेम प्रैक्टिस करते है और खालसा कॉलेज यमुनागर मे बी०एस०सी० के छात्र है।

3 यह है कि कुछ दिनो पहले मेरे दोनो बच्चे शाम के समय अपने मकान के आगे खडे थे तभी वहॉ पर पुलिस जिप्सी मे उक्त दोषीगण पहुचे जोकि शराब के नशे मे धुत थे और आकर मेरे बच्चो से मारपीट की जब मेरे बच्चो ने उक्त दोषीगण से पूछा कि हमारा क्या कसूर है जिस वजह से आप हमारे साथ मारपीट कर रहे हो तो उक्त दोषीगण ने कहा कि जब तुमको

हवालात मे डालेगे तो तुम्हारे को पता चलेगा कि तुमने क्या किया है तो उसी समय मेरे बच्चो ने मुझे प्रार्थी से बात करवानी चाही तो उक्त दोषीगण ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि हम किसी से बात नही करते।

4 यह है कि जब मै प्रार्थी अपने साथ अपने विधायक डॉक्टर बी०एल० सैनी को लेकर रामपुरा चौकी पहचा तो दोषीगण दोनो बच्चो को बाहर ही छोडकर भाग गये। बार बार बुलाये जाने पर भी उक्त दोषीगण चौकी मे ना आये उनकी जगह पर लगभग 3 घण्टे बाद इस्पैक्टर सदीप वहॉ पर पहुँचा लेकिन उनका रवैया भी टाल मटौल का नजर आया और काफी प्रयास करने के बाद उन्होने एक शिकायत न० 169 5पी लोकल पी पी रामपुरा दर्ज की।

5 यह है कि बार बार सम्पर्क करने पर आज तक उक्त दोषीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही ना हुई क्योकि उक्त दोषीगण पुलिस अफसर है।

6 यह कि उसी दिन से लेकर आज तक मेरे बच्चे उनके साथ हुई बदतमीजी के कारण सदमे मे है और मानसिक व शारीरिक चोट से पीडित है।

7 यह है कि एक शिकायत पत्र मैने 25 05 2012 को जिला पुलिस अधीक्षक को मिलकर दिया था जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है जिसकी कॉपी साथ सलग्न है।

इसलिए जनाब से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यो को मध्य नजर रखते हुए उक्त दोषीगण के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही अपनी अदालत मे बुलाकर की जाये। ताकि आम जनता का कानून पर भरोसा कायम रहे।

जनाब की अति कृपा होगी।

दिनाक 05/06/2012

प्रार्थी
हस्ता/
डॉक्टर जरनैल सिह पुत्र श्री जसमेर सिह
निवासी गाव अलाहर
तह० जगाधरी जिला यमुनानगर

The Committee asked Sh Devinder Rana ASI and Sh Dila Ram ASI Ram Pura Police Post Yamuna Nagar and the Petitioner to appear before the Committee on 20 06 2012 to discuss the matter The Committee discussed the matter and after discussion made the following observations

Dr Jarnail Singh S/o Shri Jasmir Singh R/o Vill Alahar Tehsil Jagadhri Distt Yamuna Nagar is present before the Committee in person Shri Devinder Rana ASI and Shri Dila Ram ASI both are also present There were some grievances which have been sorted out

Hence the petition is disposed off accordingly

15 PETITION RECEIVED FROM DR ASHOK KASHYAP, MLA, INDRI REGARDING INDULGING INTO MALPRACTICES IN DISTRIBUTION OF LPG GAS CYLINDERS BY M/S JEET GAS AGENCY, INDRI

The Petition received from Dr Ashok Kashyap MLA Indri reads as under

To

The Chairman
Committee on Petitions
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Sir

I want to bring to your kind notice that the residents of my constituency are facing a great difficulty regarding supply of LPG Gas Cylinders by the Distributor of Indane Gas Agency namely M/s Jeet Gas Agency Indri in as much as the residents of my constituency have to wait for one to two months for home delivery of LPG Cylinders and the said distributor is indulging into malpractices The residents of my constituency feeling it very hard to meet their need of LPG Cylinders On behalf of my constituents I request you to get this grievance redressed by taking appropriate action in the matter

Yours faithfully

Sd/
(Dr Ashok Kashyap)
MLA Indri

The Committee called the District Food & Supplied Controller Karnal on 20 06 2012 to discuss the matter The said Officer and the representative of M/s Jeet Gas Agency appeared before the Committee on 20 06 2012 The Committee discussed the matter with them and after discussion the Committee directed the DFSC Karnal to conduct thorough investigation in the matter Random checking of at least 50 consumers may be done to find out whether there is any complaint against this Agency and the quantity of the gas cylinder and the gas cylinders are given at the prescribed rate or not The Committee also desired that the daily record of booking and delivery of Gas Cylinders by the said Agency for the last three months be produced before the Committee in its meeting on 04 07 2012

The DFSC Karnal sent his reply on 03 07 2012 which is as under

प्रेषक

जिला खाद्य एव पूर्ति नियन्त्रक
करनाल।

सेवा मे

सचिव
हरियाणा विधान सभा सचिवालय
चण्डीगढ।

यादि क्र० आई०एस० 2012/3817 दिनाक 03 07 12

विषय Meetıng of the Commıttee on Petıtıons

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्र0 HVS/Petıtıons/2/2012 9181 89 दिनाक 13 6 2012 के सन्दर्भ मे।

विषयाधीन बारे मै0 जीत गैस एजेन्सी इन्द्री के विरूद्ध शिकायत की जाच पडताल के लिए दिनाक 3 7 2012 को निरीक्षक खाद्य एव पूर्ति इन्द्री द्वारा उक्त गैस एजेन्सी पर दर्ज उपभोक्ताओ के ब्यान उनके उपभोक्ता सख्या सहित दर्ज किए गए। जिसमे सभी उपभोक्ताओ ने लिखित बयान दिये है कि उन्हे गैस एजेन्सी के गोदाम से गैस सिलैण्डर 392 रुपये मे प्राप्त होता है तथा गैस एजेन्सी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ता/
जिला खाद्य एव पूति नियन्त्रक
करनाल।

Shrı Ravınder Malık DFSC Karnal and representatıve of the Jeet Gas Agency were present ın person before the Commıtee on 4 7 2012 In the last meetıng the Commıttee dırected the DFSC Karnal for through ınvestıgatıon ın the matter DFSC ınformed the Commıttee that he has done ınvestıgatıon ın the matter and found that cylınders are beıng sold at the fıxed prıce by the saıd Gas Agency Further he stated that now no complaınt ıs pendıng there agaınst the saıd Gas Agency However the Commıttee feels that ın future ıf any complaınt ıs receıved agaınst the Gas Agency then strıct actıon should be taken agaınst the dealer of thıs Agency and Gas Agency shall keep ıts telephone lıne open for bookıng of the cylınders The petıtıon ıs dısposed off

16 PETITION RECEIVED FROM SH HAWA SINGH, S/O SH DHARM SINGH, VILL GHUMAR, TEHSIL GANAUR DISTT SONEPAT REGARDING HIS ILLEGAL ARREST

The Hon ble Speaker sent a note forwarding therewith Petition from Sh Hawa Singh with the observations that he sent the said petition to IG Rohtak with a reminder also for inquiry and taking legal action under intimation to his office but no intimation was received by his office Therefore the Petition Committee look into the matter and contemplate action as per law if any made out The petition reads as under

सेवा मे

अधयक्ष महोदय
हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

विषय नाजायज हिरासत मे रखने बारे।

श्रीमान जी

श्रीमान जी निवेदन है कि मै हवा सिह पुत्र श्री धर्म सिह जाट गाव घुमड तह० गन्नौर जिला सोनीपत कर रहने वाला हूँ। मै चण्डीगढ पुलिस मे हैड कास्टेबल बैल्ट न0 2480 सी पी पद पर नौकरी करता हूँ। जो मै एक दिन अवकाश पर अपने गाव घुमड गया था मुझे गाव मे जाकर मालूम हुआ कि मेरे भतीजे महताब का मर्डर केस मे नाम आया हुआ है। मुझे पता चला है कि मेरे भाई के लडके महताब व शमशेर को पुलिस पकडने आई थी। मै जब 22 09 2011 को चण्डीगढ आने लगा तो मैने अपने भाई शमशेर से कहा कि अपने लडके महताब को पुलिस केहवाले कर दे। इस पर मेरे भाई ने कहा कि मुझे पता नही कहा है? जो फिर मेरे भाई ने कहा कि मै थाने मे जाने से डरता हूँ। जो मै अपने भाई शमशेर को थाने मे लेकर गया तो वहा पर मुझे एस एच ओ साहब श्री रामकुमार व एस आई ओमप्रकाश मिले जिनको मैने कहा कि जब तक मेरा भतीजा नही आता तब तक मेरा भाई आपके हवाले करता हूँ। इतना कहते ही एस एच ओ साहब व एस आई ओमप्रकाश ने गाली देते हुए कहा कि इन दोनो भाईयो को अदर हवालात मे दे दो। जो हम दोनो भाई थाने मे बिठा लिये। जो शाम दिनाक 22 09 2011 को कहा कि इन दोनो के कपडे निकलवा कर हवालात मे बद कर दो। जो दोनो भाईयो के कपडे निकलवाकर हवालात मे बद कर दिये। मेरे काफी कहने पर अपने हैड क्वार्टर मे फोन कर दू जो मैने अपने मोबाईल न0 09417495502 से पुलिस लाई सैक्टर 26 चण्डीगढ मे ए एस आई रणजीत सिंह को टेलीफोन न0 0172 2791108 पर बताया कि मै हवालात मे बद कर दिया हूँ। जो मेरी डयूटी से गैर हाजिरी लिखी गई। जिसकीसूचना मैने अपने रिश्तेदानो व घर मे भी दी। दिनाक 23 09 2011 को जयपाल सिंह हमारा रिश्तेदार हम दोनो भाईयो को हवालात के अदर सुबह लगभग 6 बजे चाय वगैरा पिलाने आया। दिनाक 23 09 2011 शाम को वकील श्री छतरसिंह पवार व बिरेन्द्र महलावत हैड कास्टेबल चन्द्र सिह 294सी पी सिविल लाईन थाना सोनीपत मे गये जो एस एच ओ साहब से मिले तो साहब ने कहा कि मै आपको 48 घटे की जमानत देता हूँ। और मेरे भाई शमशेर को वही थाने मे रख लिया। जो मैने 24 09 2011 को अपने पुलिस लाईन मे हपनी हाजिरी लगवाई।

दिनाक 24 09 2011 को मेरे भाई शमशेर पुत्र श्री धर्म सिह के खिलाफ 216 आई पी सी का मुकदमा दर्ज करके दिनाक 25 09 2011 को अदालत मे पेश किया। जो मेरे भाई ने कहा था कि मुझे भी दो दिन का समय दे दो। मै उसकी तलाश कर लूगा। लेकिन मुझे कोई समय नही दिया गया। एस आई ओम प्रकाश ने कहा कि मै तुम्हारी औरतो को भी थाने मे लेकर आउँगा। जो कई बारे मेरी भतीजी के घर सोनीपत विकास नगर मे भी कई बार गये तथा डराया व धमकाया कहा कि महताब जो पेश कर दो। नही तो सभी रिश्तेदारो को भी हवालात के अदर कर दूगा। जो मेरा भतीजा महताब को मेरे भाई प्रेम व रविन्द्र पहलवान व कृष्ण राठी ने दिनाक 25 09 2011 को तलाश करके एस एच ओ साहब के हवाले कर दिया। जो दिनाक 30 09 2011 को अदालत मे पेश कर दिया गया। जो एस एच ओ साहब व एस आई ओमप्रकश इस नाजायज हवालात मे बदी बारे इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। जो मै अपने गैर हाजिरी की रिपोर्ट समय पर पेश कर दूगा।

प्रार्थी
हस्ता/
हवा सिह पुत्र श्री धर्म सिह
जाति जाट गाव घुमड।

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 27 04 2012 The Committee observed that the comments/reply of the concerned department may be obtained on or before 16th May 2012

The Inspector General Police Rohtak range sent his reply vide letter dated 09 05 2012 which reads as under

सेवा मे

श्री सुमीत कुमार
सचिव
हरियाणा विधान सभा सचिवालय
चण्डीगढ।

क्रमाक 242 P दिनाक 9 5 2012

विषय परिवाद हवासिह पुत्र धर्मसिह गाव गुमड जिला सोनीपत।

यादि

कृपया आपके कार्यालय के पत्र क्रमा क HVC/Petition/11/12/5839 दिनाक 27 04 2012 के सन्दर्भ मे।

2 उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे पहले एक परिवाद श्री कुलदीप शर्मा माननीय स्पीकर हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ के कार्यालय के पत्र क्रमाक HVC/Petition/1748 दिनाक 12 10 2011 के अनुसार इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ था जो तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक रोहतक रेज रोहतक द्वारा इस कार्यालय मे क्रमाक 233/स्पैशल दिनाक 22 10 11 के अनुसार जाच एव रिपोर्ट हेतु पुलिस अधीक्षक सोनीपत को भेज दिया गया। परिवाद की जाच श्री रणधीर सिह ह०पु०से० उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सोनीपत द्वारा की

गई। परिवाद की रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्राप्त होने पर रिपोर्ट भूलवश श्री कुलदीप शर्मा माननीय स्पीकर हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ को नही भेजी गई इसके लिए खेद है।

3 उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सोनीपत की जाच से पाया गया कि परिवाद के सम्बन्ध मे अभियोग सख्या 326 दिनाक 08 09 11 धारा 148/149/203 भा द स व 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन सोनीपत मे श्री जगबीर सिह पुत्र टेक राम गाव थाना कला के ब्यान राम गाव थाना कला के ब्यान पर उसके लडके हैप्पी का कत्ल करने पर अनशुभ पुत्र रणधीर सिह वासी खेवडा व परिवादी के भतीजे महताब सिह वासी गुमड व अन्य कुछ लडको के विरूद्ध दर्ज हुआ था। अभियोग का प्रथम अनुसन्धान उ नि आजाद सिह व उसके पश्चात उ नि औमप्रकाश द्वारा किया गया तथा अभियोग मे दोषी महताब को उसके पिता शमशेर सिह पुत्र धर्मसिह/परिवादी के भाई द्वारा शरण दी जानी पाई जाने पर उ नि आजाद सिह द्वारा शमशेर सिह को विधिपूर्वक दिनाक 24 09 11 को धारा 216 भा द स के तहत गिरफ्तार किया गया तथा दिनाक 25 09 11 को पेश अदालत किया गया। परिवादी के भतीजे महताब को उक्त अभियोग मे दिनाक 29 09 11 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाक 30 09 11 को पेश अदालत किया गया।

4 उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सोनीपत की जाच व परिवादी द्वारा प्रबन्धनक थाना रामकुमार व उ नि औमप्रकाश पर गाली देने व हवालात थाना मे बैठा लेने बारे दिनाक 22 09 11 को जो आरोप लगाये है की पुष्टि होनी नही पाई गई। परिवादी हवा सिह चण्डीगढ पुलिस मे कार्यरत है तथा अपने भाई शमशेर जिसको धारा 216 भा द स व भतीजा महताब जो मुख्य अभियुक्त था की मदद करना चाहता था इसलिए अनुसन्धान अधिकारी व प्रबन्धक थाना पर आरोप लगा दिए गए।

5 अभियोग सख्या 326 दिनाक 08 09 11 धारा 148/149/302 भा द स 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन सोनीपत मे 7 दोषीयान को गिरफ्तार करके चालान दिनाक 24 12 11 को न्यायालय मे दिया जा चुका है एक दोषी धर्मराज की गिरफ्तारी बकाया है जिसको अदालत से पी०ओ० करार कराया जा चुका है लेकिन पी०ओ० का चालान अभी तक अदालत मे नही दिया गया है।

रिपोर्ट सेवा मे प्रेषित है।

हस्ता/
(आलोक मित्तल)
पुलिस महानिरीक्षक
रोहतक रेज रोहतक।

The Committee called the Petitioner on 06 06 2012 to explain his case The Petitioner was heard on 06 06 2012 and after hearing him the Committee desired that Sh Ram Kumar SHO and Sh Om Parkash ASI Police Station Civil Lines Sonepat may be asked to appear before the Committee on 20 06 2012 The Petitioner was also asked to appear on the said date The Petitioner could not appear before the Committee on 20 06 2012 Therefore the said Police officials were asked to appear before the Committee on 04 07 2012

The Petitioner and the said Police officials appeared before the Committee on 04 07 2012 The Committee discussed the matter with them and thereafter the Committee made the following observations

Grievance stated in the said petition comes under the purview of the IPC So the Committee has no jurisdiction to entertain such cases and the petitioner may avail the remedy of approaching Court of Law Hence the petition is disposed off

---

17 PETITION RECEIVED FROM LT CDR (RETD) DS BALHARA, R/O A 1, JAL VAYU VIHAR, SECTOR 30, GURGAON REGARDING ALLOTMENT OF SURPLUS LAND AS AN OLD TENANT

The Petition received from Lt Cdr (Retd) DS Balhara Indri reads as under

Lt Cdr (Retd) D S Balhara
A 1
JAL VAYU VIHAR
SECTOR 30 GURGAON
HARYANA

The Hon ble Sh Kuldeep Sharma
Speaker Vidhan Sabha Haryana
Chandigarh

ALLOTTMENT OF SURPLUS LAND AS AN OLD TENANT

Sir

1 I have the honour to submit the following for your kind consideration

(a) We are the cultivator of Kila No 255/19 22 23 24 256/25 6 15 16 and (4 & 5 Min) total Area of 72 Kanal 12 Marlas at village Samar Gopalpur since our fore fathers and for the last more than 150 yrs

2 The above said area have been declared as a surplus land and we have been declared as on old tenant by the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh Vide Civil Petition No 1281 of 1973 and the Court of Sh Sube Singh Collector agrannian Vide case no 182/1 CAR dated 11 Dec 1981

3 Sir we have applied for allotment of a surplus land as an old tenant under Form No US 2 to the allotment authority SDM (CIVIL) of 16 July 2007 It is now about four years have passed Inspite of our best efforts and handing over of all the documents required by the authorities no action has been taken till date

4 Sir Inspite of our repeated request we have not been allotted the above said surplus land as an old tenand on one pretext or other The reason for the same are best known to the SDM Rohtak

5 I may also bring to yor notice that out of we five brother four of us have served in the Defence Service (Army Navy and Indian Air Force) I have also been awarded a Gallantary Medal for my exemplary bravery by the President of Indian on 26th January 1966

6 In view of the above we may requested your honour to forward our application of the Hon ble Chairman of the Pertion Committee (Sh B B Batra) for necessary action

Copy to Hon ble Sh B B Batra
M L A Rohtak
Haryana

Sd/
(D S Balhara)
Lt Cdr (Retd)
Flat No A1 Jal vayu Vihar
Sector 30 Gurgaon

The Petition was placed before the Committee on 08 06 2011 and the Committee observed that the comments of the concerned department may be obtained The Petition was sent to the concerned department on 14 06 2011 and since no reply was received Reminders were sent on 07 07 2011 06 09 2011 and 06 04 2012 The Committee called the Joint Secretary Revenue and Disaster Management Department Haryana and the Petitioner to appear before the Committee on 04 07 2012

The Committeed received letter No 1626 AR I 2012/7302 dated 4 7 2012 received from Additional Chief Secretary & Financial Commissioner Haryana Govt Revenue & Disaster Management Department attaching therewith letter of petitioner vide dated 29 6 2012 in which petitioner has withdrawn the petition as his grievnace has been redressed and the same was placed before the Committee

The Committee received the letter of withdrawal of petition from the petitioner which read as under

A 1
Jal Vayu Vihar
Sector 30 Gurgaon
29 June 2012

Hon bel Sh Bharat Bhusan Batra
Chairman
Petition Committee
Chandigarh

Withdrawal of Application

Respected Sir

1 Refer to my application dated 24th May 2011 and Haryana Vidhan Sabha Secretariat letter No HVS/Petition/2/2012/9808 16 dated 23 June 2012

2 Sir now the present SDO(C) who has recently taken over as SDO(C) Rohtak immediately he has taken the following action

(a) For 61 Kanal 3 Marla land he has issued us the u/s 3 That means work is completed

(b) For 11 Kanal 9 Marla which was ommitted in collector agrarian order due to clerical mistake SDO(C) has assured us that after completing all the technical formalities u/s 3 will be issued in 15 days Sir we have every faith in present SDO(C) for his sincerity working and wording

3 In view of above I requested your honour to allow me to withdraw my application as mentioned above

4 All my family members join me to convey our thanks for your kind and sympathy towards the Defence personnel

Thanking you

Sd/
(D S Balhara)
Lt CDR (Retd)

The Committee acceded to the request of the petitioner for withdrawal of his petition and the petition was disposed of accordingly

---

18 PETITION RECEIVED FROM SH BHIM SINGH, ADVOCATE, VILLAGE & POST OFFICE AGWANPUR, DISTT SONEPAT REGARDING ABUSING MANHANDLING AND BEATING OF MS RAJNI, SANSKRIT TEACHER GOVT MIDDLE SCHOOL, KISHANPURA, DISTT KURUKSHETRA BY MRS ASHA RANA, SOCIAL STUDIES MISTRESS OF SAME SCHOOL

The Petition dated 09 05 2012 addressed to the Hon ble Speaker received from Sh Bhim Singh Advocate and forwarded by the Hon ble Speaker to the Committee on 16 05 2012 reads as under

To

The Hon ble Speaker
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Sir

Most respectfully it is submitted as under

1 That my daughter Rajni Sanskrit Teacher Govt Middle School Kishanpura (Kurukshetra) was abused manhandled and beaten brutally on 1 5 2010 inthe school premises before the staff and the students by Mrs Asha Rana Social Studies Mistress The only fault of my daughter was that she complained to Mrs Asha Rana Social Studies Mistress who is also incharge being senior about the late coming of Mrs Rekha Jangra science mistress who had made it a routine and rather became habitual

2 That the above matter was reported on the same day to Block Education Officer Thanesar and when she showed a considerable delay and calculated partiality and laxity in the matter the D E O Krukshetra was approached to intervene in the matter and the D E O Kurukshetra sensing the gravity of the situation and to maintain the decorum and discipline in the school acted immediately and suspended Mrs Asha Rana Social Studies mistress on 10 6 2010 as she was found guilty of gross misbehaviour and indiscipline in the school and reported the matter to Director Secondary Education Haryana for information approval and disciplinary action

3 That the then Additional Director displayed a complete lack of responsibility and dutifulness as he not only reinstated Mrs Asha Rana Social Studies Mistress but posted in the same school and brushed aside the recommendation and the enquiry report of DEO Kurukshetra which was supported with the necessary documents and statement etc whereas the complainant Mrs Rajni Sanskrit Teacher was transferred on deputation to Govt Senior Secondary School Umri Kurukshetra

4 That in view of the continuous correspondence from the undersigned and the legal notice etc the Director after the lapse of one year appointed Sh Ashwani Kumar HCS Additional Director for enquiry The Additional Director made the enquiry on 7 6 2011 in the school during vacations when neither the students nor the staff were available in the school and sumbitted his enquiry report on 10 6 2011 to the Director Secondary Education Haryana with the recommendation that all the three members of the staff should be transferred immediately But to our great dismay it seems that the Director does not even want the transfer of the accused teacher not to talk of taking the disciplinary and departmental action against her as he has kept the matter in abeyance for the last one year

It is therefore requested that the Director Elementary Education Haryana Panchkula may kindly be directed that Mrs Asha Rana Social Studies Mistress may kindly be transferred immediately on administrative grounds and take strict disciplinary action against the teacher concerned as she has been found guilty of gross misconduct misbehaviour and indiscipline during school hours on the basis of enquiry reports submitted by DEO Kuruskhetra and the Additional Director (Admn) of the office of Director Secondary Education Haryana

Yours faithfully

Sd/

Bhim Singh Advocate
Village & Post Office Agwanpur
District Sonepat (Haryana)

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 16 05 2012 The Committee considered the matter and desired that the comments of the concerned department may be obtained The Director Elementary Education Haryana vide his letter dated 10 07 2012 replied as under

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
शिक्षा सदन सैक्टर 5 पचकूला।

सेवा मे

सचिव
हरियाणा विधान सभा सचिवालय
चण्डीगढ।

यादि क्रमाक 10/53 2008 एच०आर०एम० 1(5)
दिनाक पचकूला। 10 7 2012

विषय Meeting of the Committee on Petitions

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र यादि क्रमाक HVS Petition/2/12/11375 83 दिनाक 5 7 2012 सन्दर्भ मे।

इस सम्बन्ध मे मामले मे मद न० 5 बारे विभागीय टिप्पणी/विवरण निम्न प्रकार से है

श्रीमती आशा राणा एस०एस० अध्यापिका (इन्जार्च मुख्याध्यापिका) रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) श्रीमती रजनी सस्कृत अध्यापिका के आपसी झगडे के कारण जिला शिक्षा अधिकारी कुरूक्षेत्र ने दिनाक 10 06 2012 को श्रीमती आशा राणा एस०एस० अध्यापिका को निलम्बित किया गया। इसके उपरान्त ग्राम पचायत द्वारा बीड पीपली पटी किशनपुरा थानेशर (कुरूक्षेत्र) ने श्रीमती आशा राणा एस०एस० अध्यापिका को इस निदेशालय को बहाल करने बारे व श्रीमती रजनी सस्कृत अध्यापिका को तबादला करने बारे अनुरोध किया गया। लेकिन इस निदेशालय के पत्र क्रमाक 14/35/2010 एच०आर०एम० 1(4) दिनाक 28 06 2010 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कुरूक्षेत्र को श्रीमती आशा राणा एस०एस० अध्यापिका इन्चार्ज मुख्याध्यापिका रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) को बहाल करने बारे लिखा गया तथा कर्मचारी के विरूद्ध कोई ठोस प्रमाण व शिकायत इस निदेशालय को भेजने बारे लिखा गया था। जिला शिक्षा अधिकारी कुरूक्षेत्र ने दिनाक 02 07 2010 को खण्ड शिक्षा अधिकारी थानेसर को जाच अधिकारी नियुक्त किया। दोनो अध्यापिकाओ ने थाना पिपली मे एक दूसरे के विरूद्ध शिकायत दर्ज करवाई। दोनो अध्यापिकाओ को सम्बन्धित थाना प्रभारी ने थाने मे बुलाया तथा दोनो अध्यापिको के अभिभावको की उपस्थिति मे दोनो का समझौता करवा दिया गया तथा भविष्य मे ऐसा न करने पर दोनो पक्ष सहमत हो गये। इस मामले मे श्रीमती आशा राणा एस०एस० अध्यापिका (इन्चार्ज मुख्याध्यापिका) रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) कार्यग्रहण करवाने बारे लिखा गया। दिनाक 19 10 2012 को श्री विनय सिह Additional Director (Admn) को जिला शिक्षा अधिकारी कुरूक्षेत्र के विरूद्ध शिकायत की जॉच करने हेतु जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री विनय सिह अतिरिक्त निदेशक प्रशासन की पदौन्नति भारतीय सिविल सेवा मे हाने के कारण जॉच नही हो पाई इसके उपरान्त दिनाक 30 05 2011 को श्री अश्वनी कुमार Additional Director (Admn) Enquiry Officer नियुक्त किया गया। जॉच अधिकारी दिनाक 10 06 2011 को जॉच रिपोर्ट निदेशक महोदय को प्रस्तुत की। जॉच रिपोर्ट मे श्रीमती आशा राणा एस०एस० अध्यापिका (इन्चार्ज मुख्याध्यापिका) रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) तथा श्रीमती रजनी सस्कृत अध्यापिका के आपसी झगडे से जिला शिक्षा अधिकारी कुरूक्षेत्र के पत्र दिनाक 09 06 2010 के अनुसार जो कारवाई की गई पचायत ने उससे रूष्ट होकर उनके विरूद्ध शिकयत की है

जिला शिक्षा अधिकारी कुरूक्षेत्र द्वारा श्रीमति रजनी को तुरन्त प्रभाव से उमरी गाव के स्कूल मे प्रतिनियुक्त करना श्रीमति आशा राणा को निलम्बित किए जाने की शिकायत करना प्रशासनिक कार्यवाही था जो उस समय की परिस्थितियो मे उचित कदम था। जॉच अधिकारी ने इन अध्यापिकाओ को स्कूल तथा गाव के वातावरण को खराब किया इसमे एक अध्यापिका रेखा जागडा भी झगडे का कारण थी अत स्कूल के छात्र और छात्राओ का भविष्य बदलते हुए इन तीनो अध्यापिकाओ को किसी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल मे शीघ्र प्रभाव से स्थानान्तरण करना उचित होगा यहा यह भी व्यक्त किया जाता है कि श्रीमति आशा राणा व श्रीमति रजनी ने शिकायत पुलिस विभाग मे दर्ज दी गई थी इस सम्बन्ध मे श्रीमति रजनी ने ब्यान किया है कि उसने आशा राणा के साथ समझौता कर लिया था उसके विपरित आशा राणा ने बताया कि पुलिस द्वारा इस समझौता करवाने बारे उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया। इस विषय पर तत्कालीन सहायक दयाचद ने श्रीमति सरोज लोभच जिला शिक्षा अधिकारी कुरूक्षेत्र से दूरभाष पर दोनो अध्यापिकाओ बारे जाच की गई थी। उस द्वारा रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) की हालात सामान्य बताया गया। इस कारण इस मामले मे आगामी कोई कार्यवाही नही की गई।

अब जिला शिक्षा अधिकारी कुरूक्षेत्र ने अपने पत्र क्रमाक ई 2/12/590 दिनाक 10 7 2012 द्वारा सूचित किया है कि श्रीमती रजनी देवी सस्कृत अध्यापिका रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) ने श्रीमती आशा रानी रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) के विरूद्ध Criminal complain u/s 323 and 506 IPC के अन्तर्गत बिना विभागीय अनुमति के माननीय देवेन्द्र सिह Additional Chief Judicial Magistrate Kuruskhetra की भदालत मे फाईल की हुई है। जो कि दिनाक 14 7 2012 को श्रीमती सुकेशी शर्मा मुख्य शिक्षक रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) की गवाही के लिए लगी हुई है। इन उपरोक्त कर्मचारियो को इस विद्यालय से अन्य विद्यालयो मे रिक्ति के समक्ष बदलने हेतु निम्न प्रकार स्थानान्तरण प्रस्तावित है।

श्रीमती आशा राणा एस०एस० अध्यापिका रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) से रा०व०मा०वि० भूसथला (2418) कुरूक्षेत्र रेखा जागडा वि० अध्यापिका रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) रा०व०मा०वि० अजराना कला (2390) कुरूक्षेत्र और श्रीमती रजनी सस्कृत अध्यापिका रा०मा०वि० किशनपुरा (कुरूक्षेत्र) से रा०उ०वि० लुखी (2325) कुरूक्षेत्र। ताकि विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

हस्ता/
उप निदेशक मास्टर
कृते निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पचकूला।

The Director Elementary Education Haryana was asked to appear before the Committee on 11 07 2012 The Committee discussed the matter with him and the Committee made the following observations

Shri Ashwani Kumar Additional Director Elementary Education Haryana in response to the notice sent by the Committee appeared before the Committee He has submitted detailed information vide letter dated 10 7 2012 The Department has transferred both the employees from the said school keeping inview the atmoshphere and to keep harmony in the school It has also been revealed in the reply that compromise has been made between the parties In spite of this compromise a criminal case has been filed by Ms Rajni which is pending in the Additional Chief Magistrate Court Kurukshetra Since the parties dispute is pending

in the Court and in view of the allegations levelled in the petition the Committee finds very difficult to entertain her case and to continue with this petition at this stage Hence at this stage the petition is without jurisdiction as legal proceedings are pending in the Court The Committee cannot proceed with her petition Otherwise also this petition has not been filed in person by Ms Rajni It has been filed by her father Shri Bhim Singh Advocate

Therefore in view of above the petition is disposed of and the petitioner may be informed accordingly

---

19 PETITION RECEIVED FROM SH SANT LAL SHARMA, RETIRED ASSISTANT MALARIA OFFICER, HISAR REGARDING HIS CLAIM OF REIMBURSEMENT OF MEDICAL BILLS

The Petition received from Sh Sant Lal Sharma reads as under

To

The Chairman
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Sub Sanction and Budget provision in Rs 78327/- on Account of Reimbursement Bill of Sant Lal Sharma Retired Asstt Malaria Officer

Dear Sir

It is brought to your noticed that I retired as A M O from office of District Malaria Officer Hisar on 31 1 1989 I had toget operated of prostrate from Batra Hospital Delhi My condition was very critical at that time I was discharged on 20 8 2011 from Hospital

I submitted my reimbursement Bill for Rs 78327/ to D M O Hissar on 21 11 2011 and copy to D G H S Haryana for taking action The D M O Hissar requested to D G H S Haryana for sacntion making the budget allotment of this bill vide his D O No 1181 dated 13 12 2011

I also requested to D G H S Haryana for sanction and budget available to D M O Hissar for arranging the payment of bill but it is still awaited from his office I request and hope that you will be kindly help me in getting the sanction & budget provision for my bill as I am in hardship for want of money spent on my illness

Thanking you

Yours faithfully

Sd/
(Sant Lal Sharma)
H No 886/24 Geeta Colony
Double Pahtak
Rohtak 124001 Haryana

The Director General Health Services Haryana was asked to appear before the Committee on 11 07 2012 The Committee discussed the matter with him and thereafter made the following observation

Dr Narveer Singh Director General Health Service has apprised the Committee that the budget for the settlement of this bill shall be sent to the District Headquarter within a period of 7 days Petition is disposed off accordingly The copy of the order may be sent ot the petitioner

---

20 PETITION RECEIVED FROM SH ASHOK KUMAR S/O SH BUDHRAM VPO LISAN, DISTT REWARI REGARDING RE INSTATEMENT ON THE POST OF HEADMASTER

The Petition received from Sh Ashok Kumar reads as under

प्रषक

अशोक कुमार सुपुत्र श्री बुधराम
गाव व पोस्ट लिसान
जिला रेवाडी
पिन 123411
दिनाक 01 05 2012
मो0 9992226900 ई मेल asklsnrwr123411@gmail com

सेवा मे

श्री भारत भूषण बतरा
माननीय अध्यक्ष एव अन्य सदस्यगण
पेटिसन कमेटी हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

विषय हैडमास्टर के पद पर बहाल करने की अपील।

माननीय

उपरोक्त सबधी एक आदेवन मैने आपके समक्ष 21 02 2012 को प्रस्तुत किया था लेकिन उस पर अब तक किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए मुझे सूचित नही किया गया है। आपसे पुन निवेदन है कि उपरोक्त विषय की व्यापक जाच करके मेरे साथ न्याय करे।

आपकी अति कृपा होगी।

भवदीय

हस्ता/
अशोक कुमार

प्रस्तुत समक्ष

श्री भारत भूषण बतरा
माननीय अध्यक्ष एव अन्य सदस्यगण
पेटिसन कमेटी हरियाणा विधान सभा
चण्डीगढ।

प्रेषक

अशोक कुमार सुपुत्र श्री बुधराम
गाव व पोस्ट लिसान
जिला रेवाडी
पिन 123411
दिनाक 21 02 2012
मो0 9992226900 ई मेल asklsnrwr123411@gmail com वादी

बनाम

1 वित्तायुक्त एव प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा।

2 पुलिस अधीक्षक नारनौल प्रतिवादी

माननीय अध्यक्ष महोदय को नत मस्तक एव करबद्ध प्रमाण।

1 8 फरवरी के अग्रेजी ट्रिब्यून के पेज न0 3 पर गीताजली गायित्री की न्यूज रिपोर्ट Petition Committee to redress people s grievences से प्रेरित होकर आपके समक्ष यह याचिका एक सकारात्मक रचनात्मक और निर्णायक परिणती की उम्मीद से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2 भारत के सविधान के अनुच्छेद 311 (1) मे प्रावधान है कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी Appointing Authority से Junior Authority Dismiss नहीं कर सकती। मेरी Appointing Authority I A S अधिकारी रहे है लेकिन मुझे दो अलग अलग मामलो मे दो अलग अलग H C S अधिकारियो ने दो बार डिस मिस कर दिया है।

3 वर्ष 1995 96 मे तत्कालीहन उपमण्डल शिक्षा अधिकारी नारनौल श्री पुष्करमल वर्मा ने तत्कालीन राजकीय उच्च विद्यालय राता कला (महेन्द्रगढ) के डी डी ओ श्री भगवानदास जोशी के साथ साजिश करके स्कूल फडो से एक लाख तैतीस हजार रुपये का गबन किया था। यह मामला मैने 5 अगस्त 1996 को नवभारत टाइम्स मे छपवा दिया था।

4 25 दिसम्बर 1999 को जो कि अन्तर्राष्ट्रीय अवकाश होता है को तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल श्री कमल शर्मा ने स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध मेरा स्थानान्तरण कर दिया था। जिसे मैने माननीय उच्च न्यायालय मे चुनौती दी तो स्थानान्तरण रद्द करना पडा। और उनके इस कृत्य के लिए तत्कालीन स्कूल शिक्षा निदेशक श्री पी के महापात्र I A S ने उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए F C P S को सिफारिश की थी। इस बात से श्री कमल शर्मा मुझ से जिन्दगी भर के लिए नाराज हो गये।

5 अप्रैल 2003 मे मिडल मैट्रिक बोर्ड की वार्षिक परीक्षा मे तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल श्री पुष्करमल वर्मा और तत्कालीन उपमण्डल शिक्षा अधिकारी महेन्द्रगढ श्री एम आर चौपडा ने मेरे परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल फोन पर प्रश्न पत्र आउट कर दिया।

6 वर्ष 2006 मे तत्कालीन खण्ड शिखा अधिकारी कनीना (महेन्द्रगढ) श्रीमती सतोष तवर ने अपनी पुत्री निशा सिह का नियम विरूद्ध ड्राईग टीचर की पोस्ट पर नियुक्ति कर दी। जिसका मैने विरोध किया।

7 उपरोक्त तथ्यो को सम्बन्धित अधिकारियो ने मेरी दो बार बरखास्तगी का पर्याप्त कारण समझा और मुझे बरखास्त कर दिया।

8 फाईल का वजन कम रखने के उद्देश्य से मै कालक्रम अनुसार उपरोक्त तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मागेने पर मै हरेक प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा।

9 यथा सम्भव शीघ्र न्याय की आशा मे मै पुन आपको प्रमाण करता हूँ।

याची

हस्ता/
अशोक कुमार यादव

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 15 5 2012 The Committee considered the matter and desired that comments/reply of the concerned department may be obtained within 15 days Reminder was also sent on 15 6 2012

The Director Elementary Education Haryana sent his reply on 10 7 2012 wich reads as under —

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा शिक्षा सदन
सैक्टर 5 पचकूला।

सेवा मे

सचिव
हरियाणा विधान सभा सचिवालय
चण्डीगढ।

विषय **Regarding re instatement on the post of Headmaster**

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र यादी क्रमाक HVS/Petition/12 13/9440 दिनाक 15 6 2012 के सदर्भ मे।

इस सम्बन्ध मे पद न० 9 बारे विभागीय टिप्पणी/विवरण निम्न प्रकार से है

अशोक कुमार विज्ञान अध्यापक रा व मा वि घनौन्दा (नारनौल) को निदेशालय के आदेश क्रमाक 14/14/02 एच आर एम 1 (5) दिनाक 28 7 2003 आदेश क्रमाक 14/43 05 एच आर एम 1 (5)

दिनाक 18 8 2005 तथा आदेश क्रमाक 14/53 08 एच आर एम 1(5) दिनाक 27 3 2009 के तहत तीन चार्जशीट जारी की गई थी तीनो चार्जशीट का मदवार शिकायत/चार्जशीट निम्नप्रकार से है

चार्जशीट न० (1) 1 जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल ने दिनाक 28 1 2002 को उपमण्डल अधिकारी (नारनौल) महेन्द्रगढ की जाच रिपोर्ट दिनाक 7 1 2000 की प्रति भेजते हुए श्री अशोक कुमार विज्ञान अध्यापक के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु लिखा था। जिस कारण श्री अशोक कुमार विज्ञान अध्यापक निदेशालय के आदेश क्रमाक 14/14 02 एच आर एम 1 (5) दिनाक 28 7 2003 को नियम 7 के अधीन चार्जशीट जारी की गई थी जिसमे निम्नलिखित आरोप लगाये थे।

'उसकी डयूटी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अप्रैल 2003 मे मिडल/मैट्रिक परीक्षा मे बतौर केन्द्र अधीक्षक के रूप मे सैन्टर न० 18 मे लगाई गई थी। उसके दिनाक 1 4 2003 तथा 2 4 2003 को उत्तर पुस्तिकाओ के बन्डल जिला सग्रहण केन्द्र पर जमा ना कराके परीक्षा की पवित्रता को भग किया है।

इस प्रकार उसने अपनी डयूटी के प्रति घोर लापरवाही करके बोर्ड की छवि को धूमिल किया है साथ ही दोनो पेपर बोर्ड द्वारा रदद होने के कारण बोर्ड का वित्तीय हानि तथा समय का नुकसान किया है। पेपर रदद होने के कारण छात्रो के भविष्य के साथ भी खिलवाड किया है।

उप मण्डल अधिकारी जाच अधिकारी नारनौल (महेन्द्रगढ) द्वारा की गई जाच मे वह सूचना के उपरान्त भी उपस्थित नही हुआ जो एक गम्भीर अनुशासनहीनता का परिचय है। यह कि उसका व्यवहार अभद्र प्रकृति का रहा है बिना प्राचार्य की अनुमति के हाजरी रजिस्टर सीधे तौर पर उच्च अधिकारियो को भेजकर उसने अनियमिताए की है तथा उपायुक्त महोदय के विरुद्ध जो शब्द प्रयोग मे लाये गये वह उपायुक्त महोदय की गरिमा के विरुद्ध है। सरकारी रिकार्ड की फोटो स्टेट करवाकर बाहरी तथ्यो को भेजना विद्यालय के पार्टी बाजी करके तथा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के हर रोज 17 कि मी अपने गाव से आवागमन करके उसने नियमो की अवहेलना की है।

निदेशालय के आदेश क्रमाक 14/14/ 2 एच आर एम 1 (5) दिनाक 2 12 08 को नियमित विभागीय जाच करने के लिए श्री आई एम खुगर आई ए एस (सेवानिवृत) जाच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जाच अधिकारी द्वारा कर्मचारी को जाच मे शामिल होने के निम्नानुसार अवसर प्रदान किये

Sr No	Date	Particulars
1	6 1 09 27 1 09 10 2 09 24 3 09 8 4 09 19 5 09 14 7 09 16 2 09 25 2 09 and 19 3 09	No of hearing before I O 10
2	6 1 09 10 2 09 19 5 09 14 7 09 16 2 2010 19 3 2010	The CO did not appear before I O Despite service

3	28 4 09 1 7 09 19 8 09	The CO submitted application change of Enquiry
4	19 5 09 9 7 09 21 7 09	Enquiry Officer submitted that the enquiry may be transferred to some other I O
5	23 6 09 21 7 2009 12 1 2010	Representation of CO for change of enquiry officer were rejected and I O was again requested to conduct enquiry
6	16 3 2010	Copy of the latest facts wherein the CO has categorically stated in his letter that he shall not appear before the I O

जाच अधिकारी ने दिनाक 19 3 2010 को चार्जशीट की Ex Party जाच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जाच अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार लगाये गये आरोप सिद्ध पाये गये है। सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश क्रमाक 14/53 08 एच आर एम 1(5) दिनाक 5 4 2010/9 4 2010 अनुसार उपरोक्त जाच रिपोर्ट की प्रति सम्बन्धित अध्यापक को भेजी गई। अध्यापक ने दिनाक 10 5 2010 को उत्तर दिया। उत्तर सतोषजनक न पाये जाने पर सक्षम अधिकारी के आदेश क्रमाक 14/14 2002 एच आर एम 1 (5) दिनाक 2 8 2010/3 9 2010 आरोपी अध्यापक को बर्खास्त करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा प्राप्त जवाब के आधार पर दिनाक 19 11 2010 को सेवा से बरखास्त करने के आदेश दिनाक 30 11 2010 को जारी किए गए। जिसकी प्रति पताका क पर रखी है।

चार्जशीट न० (2) उपायुक्त नारनौल के दूरभाष पर सन्देश दिनाक 5 7 05 को जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल रा मा वि उन्हानी (महेन्द्रगढ) गये। जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल की रिपोर्ट पर उपायुक्त नारनौल ने दिनाक 6 7 05 को अर्ध सरकारी पत्र लिखते हुये तुरन्त निलम्बित करने की सिफारिश की थी। निदेशालय के क्रमाक 14/43 05 एच आर एम 1 (5) दिनाक 18 8 2005 को अध्यापक के विरुद्व नियम 7 की निम्न चार्जशीट जारी की गई

> कि वह विद्यालय समय मे ही शराब पीकर आता है और दगा फसाद करता है। शराब पीकर स्टाफ विद्यार्थियो तथा लडकियो के साथ अभद्र व्यवहार करता है। उसका इस वर्ष आठवीं कक्षा के विज्ञान विषय मे 21 छात्रो मे से केवल 1 छात्र पास है। वह मुख्याध्यापक के आदेशो की अवहेलना करता है तथा आदेश पुस्तिका पर मनगढत टिप्पणी लिख देता है। उपस्थिति रजिस्टर मे प्रश्नवाचक चिन्ह पर अपने हस्ताक्षर करके टैम्परिग करता है। ऐसा करके उसने अपने आपको सख्त अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

निदेशालय के आदेश क्रमाक 14/43/ 05 एच आर एम 1 (5) दिनाक 2 12 08 को मामले की नियमित विभागीय जाच करने के लिए श्री आई एम खुगर आई ए एस (सेवानिवृत) जाच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जाच अधिकारी द्वारा कर्मचारी को जाच मे शामिल होने के निम्नानुसार अवसर प्रदान किये –

Sr No	Date	Particulars
1	6 1 09 27 1 09 10 2 09 24 3 09 8 4 09 19 5 09 14 7 09 16 2 09 25 2 09 and 19 3 09	No of hearing before I O 10
2	6 1 09 10 2 09 19 5 09 14 7 09 16 2 2010 19 3 2010	The CO did not appear before I O Despite service
3	28 4 09 1 7 09 19 8 09	The CO submitted application change of Enquiry
4	19 5 09 9 7 09 21 7 09	Enquiry Officer submitted that the enquiry may be transferred to some other I O
5	23 6 09 21 7 2009 12 1 2010	Representation of CO for change of enquiry officer were rejected and I O was again requested to conduct enquiry
6	16 3 2010	Copy of the latest facts wherein the CO has categorically stated in his letter that he shall not appear before the I O

जाच अधिकारी ने दिनाक 19 3 2010 को चार्जशीट की Ex Party जाच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जाच अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार लगाये गये आरोप सिद्ध पाये गये है। सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश क्रमाक 14/53 08 एच आर एम 1(5) दिनाक 5 4 2010/9 4 2010 अनुसार उपरोक्त जाच रिपोर्ट की प्रति सम्बन्धित अध्यापक को भेजी गई। अध्यापक ने दिनाक 10 5 2010 को उत्तर दिया। उत्तर सतोषजनक न पाये जाने पर सक्षम अधिकारी के आदेश क्रमाक 14/43 2005 एच आर एम 1 (5) दिनाक 2 8 2010/ 27 8 2010 को आरोपी अध्यापक को तीन वार्षिक वृद्धिया सचित प्रभाव से रोकने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा प्राप्त जवाब के आधार पर दिनाक 13-10 2010 को कारण बताओ नोटिस को कन्फर्म कर दिया गया। जिसके आदेश दिनाक 19 11 2010 को जारी किए गए। जिसकी प्रति पताका ख पर रखी है।

चार्जशीट न० (3) 1 जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर श्री अशोक कुमार साईस अध्यापक रा व मा वि घनौदा (महेन्द्रगढ) ने अपने ही स्कूल की नौवी की छात्रा प्रमिला से उसकी फोटो मागी तथा अश्लील हरकते की। अध्यापक के गलत व्यवहार के कारण गाव ने स्कूल को ताला लगाया। इस आशय की समाचार पत्रो मे खबर भी छपी थी। जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल की रिपोर्ट के आधार पर अध्यापक को इस निदेशालय के आदेश क्रमाक 14/53 08 एच आर एम 1 (5) दिनाक 14 8 08 के तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया था।

2 श्री अशोक कुमार निलम्बित अध्यापक को निदेशालय को पत्र दिनाक 27 3 2009 को नियम 7 के अधीन निम्न चार्जशीट जारी की गई थी

I यह कि आपने कक्षा नौवीं की छात्रा प्रमिला को विद्यालय के साईस रूम मे बुलाकर अकेले मे उसकी फोटो मागी तथा उसके साथ अश्लील हरकत की और उसे यह बात अन्य व्यक्ति को न बताने बारे धमकाया। आपकी इस हरकत के कारण दिनाक 23 7 2008 को ग्रामवासियो ने विद्यालय को ताला लगा दिया। जिसके कारण छात्रो की पढाई बाधित हुई और समाज मे शिक्षा विभाग एव शिक्षक वर्ग की गरिमा धूमिल हुई।

II यह कि इस घटना की शिकायत छात्रा ने अपने माता पिता व प्राचार्य से की है। शिकायत की प्रारम्भिक जाच प्राचार्य व खण्ड शिक्षा अधिकारी कनीना से करवाई गई जिसमे अधिकारी ने आपको दोषी ठहराया है।

III यह कि आप इससे पहले भी एक बार निलम्बित हो चुके है तथा एक बार गम्भीर अनियमितताओ के कारण आपको नियम 7 के अर्न्तगत विभाग द्वारा ओरोपित किया गया परन्तु आप जाच अधिकारी के सम्मुख जाच हेतु उपस्थित नही हुए जो कि आपके स्तर पर एक गम्भीर अनियमितता का सूचक है। इसके अतिरिक्त आपका व्यवहार अधिकारियो के साथ अभद्र प्रकृति का रहा है।

IV यह कि आप द्वारा प्राचार्य रा व मा वि धनौन्दा के आदेशो की बार बार अवेहलना की गई है। आप प्राचार्य द्वारा निकाले गये आदेशो का जवाब आदेश पुस्तिका मे ही देने के आदी है। जो कि एक गम्भीर अनियमितता है।

V यह कि ग्राम पचायत धनौन्दा की तरफ से आपके विरुद्ध शिकायत आई है कि आपने उपरोक्त छात्रा प्रमिला के साथ छेडछाड एव अश्लील हरकत की। पचायत द्वारा आपको तुरन्त निलम्बित करने की सिफारिश की है तथा सख्त कानूनी कार्यवाही की भी माग की है।

VI यह कि आप द्वारा पढाई गई कक्षाओ का गत वर्षो का परीक्षा परिणाम माईनस रहा है।

VII यह कि आपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अनेको बार अनावश्यक पत्राचार किया है। जिससे कार्यालय के कीमती समय मे बाधा उत्पन्न हुई है।

VIII यह कि आपने दिनाक 25 8 2008 को एक पत्र जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल को प्रेषित किया है जिसमे आपने अपनी सभी भूलो के लिए क्षमा चाही है। इससे प्रमाणित होता है कि आपने सभी घटनाये/अनियमितताए जानबूझकर की है और बाद मे आप माफी मागते है।

आरोपी अध्यापक ने अपनी चार्जशीट का उत्तर दिनाक 23 6 09 को जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल के माध्यम से 6 7 09 को निदेशालय मे प्राप्त हुआ । उसने आरोपो को उत्तर अनाप सनाप देते हुये आरोपो से इन्कार किया है। मामले की नियमित विभागीय जाच करने के लिए निदेशालय के आदेश क्रमाक 14/53 09 एच आर एम (5) दिनाक 2 12 2009 को अनुसार श्री एम के मिडडा (सेवानिवृत) आई ए एस को जाच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जाच अधिकारी से दिनाक 19 3 2010 को प्राप्त जाच रिपोर्ट का आधार पर कर्मचारी के विरुद्ध आरोप न० 1 2 4 5 6 सिद्ध होते है तथा आरोप न० 3 7 8 सिद्ध नही हुए। कर्मचारी के विरुद्ध जो आरोप सिद्ध हुए है वे गम्भीर प्रकृति के है। आरोप विभाग शिक्षक की छवि के सर्वथा विपरित तथा कर्मचारी आचरण नियमावली के नियमो के विपरीत है। जाच अधिकारी की रिपोर्ट मे दिये गये तथ्यो के दृष्टिगत आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध मुख्य आरोप छात्रा से अश्लील हरकत करना व फोटो मागना सिद्ध हुआ है।

मामले मे सक्षम अधिकारी के आदेश क्रमाक 14/53 2008 एच आर एस 1 (5) दिनाक 9 4 2010 की जाच रिपोर्ट की प्रति सम्बन्धित अध्यापक को भेजी गई थी जिसका उत्तर दिनाक 5 5 2010 को दिया। प्राप्त जवाब मे उतर सतोषजनक न पाए जाने के कारण दिनाक 15 7 2011 को सेवा से बर्खास्त किया गया जिसकी प्रति पताका ग पर रखी है।

चार्जशीट न० 1 निदेशालय के आदेश क्रमाक 14/14 2002 एच आर एस 1(5) दिनाक 19 11 2010 को पारित आदेशो के विरुद्ध श्री अशोक कुमार द्वारा निदेशक महोदय को अपील की निदेशक महोदय ने अपील पर निजि सुनवाई करके अपील रिजेक्ट कर दी थी। जिसकी प्रति पताका घ पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त मामले से सम्बन्धित श्री अशोक कुमार द्वारा माननीय लोकायुक्त हरियाणा मे शिकायत न० 141/2009 दायर की थी जिसमे माननीय लोकायुक्त हरियाणा द्वारा दिनाक 26 11 2010 को शिकायत को डिसपोज ऑफ कर दिया था जिसकी प्रति पताका ङ' पर रखी है।

हस्ता/
अतिरिक्त निदेशक शिक्षा
कृते निदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पचकूला।

The petitioner was asked to appear before the Committee on 11 7 2012 but he did not turn up The Committee in its meeting held on 15 7 2012 considered the reply of the Director Elementary Education and made the following observations —

The reply received from Director Elementary Education Haryana dated 10 7 2012 regarding re instatement on the post of Headmaster concerning the petition submitted by Shri Ashok Kumar S/o Shri Budh Ram V&PO Lisan District Rewari was placed before the Comittee The Committee went through the reply and discussed the matter in detail The Committee observed that the petitioner was issued three charge sheets dated 28 7 2003 18 8 2005 & 27 3 2009 under Rule 7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules 1987 levelling very serious charges In all the three cases the enquiry was conducted and the petitioner was given sufficient opportunity In the first charge sheet the petitioner was awarded the penalty of dismissal from service In the second charge sheet he was awarded the penalty of stoppage of three annual increments with cumulative effect In the third charge sheet the competent authority ordered that he may not be retained in service in view of the gravity of charges levelled against him and a decision was taken to dismiss the petitioner The petitioner also preferred an appeal against the order dated 19 11 2010 vide which he was awarded the penalty of dismissal from service in the first charge sheet The competent appellate authority i e the Director

Secondary Education Haryana rejected the appeal of the appellant The petitioner has also filled complaint No 141 of 2009 before the Lokayukta and the same has also been disposed off with the observations that no further directions are required in the said case

In view of above and finding that the petitioner is guilty of grave misconduct the Committee decided that the petition may be filed and no further action is required to be taken

The Committee desired that the concerned department as well as the petitioner may be informed accordingly

---

21 PETITION RECEIVED FROM SH RAVINDER KUMAR (62/C, RETD SUB INSPECTOR) RESIDENT OF 5016 B, SECTOR38 WEST, CHANDIGARH REGARDING REIMBURSEMENT OF HIS MEDICAL CLAIM BILLS

The Peittion received from Sh Ravinder Kumar reads as under

सेवा मे

श्रीमान जी
चेयरमैन पटीशन कमेटी
हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ।

श्रीमानजी

सविनय निवेदन है कि मै रविन्द्र कुमार 62/सी सुपरिडेन्ट ऑफ पुलिस (टेलीकोम्नीकेशन) हरियाणा से बतौर सब इसपैक्टर 31 9 1989 मे रिटार्यड हुआ था। मुझे सास फूलने की शिकायत हो गई और डाक्टरो ने आप्रेशन करवाने की नसीहत दी और मैने 4 1 2012 को फोर्टीस हस्पताल से ओपन हार्ट सर्जरी करवाई है और मेडीकल बिल क्रमाक 1532 दिनाक 2 2 2012 को डी जी पी कार्यालय भेजा था मेडीकल बिल 183927/ रुपये का है जो अभी तक मुझे नहीं मिला। मेरी बेटी की शादी तह हो गई है उसकी शादी के लिये पैसो की अति आवश्यक जरूरत है।

आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे मेडीकल के रुपये मुझे तुरन्त दिये जा सके ताकि मै अपनी बेटी की शादी सहज कर सकू।

धन्यवाद।

आपका आज्ञाकारी

हस्ता०/
(रिटायर्ड सब इन्सपैक्टर)
मकान न० 5016 बी सैक्टर 38 वेस्ट
चण्डीगढ।

The petition was placed before the Committee in its meeting held on 16 5 2012 The Committee considered the matter and desired that the comments/ reply of the concerned department may be obtained The department was asked to send reply within 7 days on 18 5 2012 The Committee received a letter

dated 30 5 2012 from the Director General of Police intimating the Committee that the medical bill of the petitioner has been sent to the Financial Commissioner & Principal Secretary to Government Haryana Home Department for according sanction

The Chief Accounts Officer of the DGP Office Haryana was asked to appear before the Committee on 8 8 2012 On behalf of CAO the Accounts Officer appeared before the Committee The Committee discussed the matter with him and made the following observations

Shri Shiv Kumar Mittal Accounts Officer is present before the Committee on behalf of the DGP Office Shri Mittal has produced documents and he has also stated that payment of Rs 1 70 972/ on account of medical claim bills have already been disbursed to the applicant In view of the above statement and submission the petition is disposed of accordingly

---

22 PETITION RECEIVED FROM SH SHISH PAL RANA, BUREAU CHIEF AAJ SAMAJ, NEWSPAPER KARNAL REGARDING COMPLAINT AGAINST POLICE OFFICIALS

The Petition dated 11 4 2012 addressed to the Hon ble Speaker received from Sh Shish Pal Rana and forwarded by Hon ble Speaker to the Committee on the same day reads as under —

आदरणीय

श्री कुलदीप शर्मा जी
अध्यक्ष विधानसभा
हरियाणा

श्री मान जी

23 मार्च को स्टेट विजिलेंस की टीम ने सीआईए 2 के एक एएसआई को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। एएसआई को पकडवाने वाली महिला ने कई खुलासे किए तो आज समाज समेत कई अखबारो ने प्राथमिकता से छापा और सच्चाई से लोगो को रू ब रू कराया। इसी दौरान सामने आया कि सीआईए 2 ने फरवरी 2011 मे लग्जरी गाडियो का जखीरा पकडा था पर कुछ गाडियो की बरामदगी पुलिस ने दिखाई ही नही। उनमे से टाटा सफारी गाडी सीआईए 2 इचार्ज मनोज वर्मा खुद इस्तेमाल कर रहे है और जिस व्यक्ति की चोरी हुई थी उसे लौटा नही रहे। हमने हकीकत का पता किया तो पता चला कि ऐसी कई गाडिया है। थाने मे खडी सफारी गाडी की फोटो/रिकॉर्डिंग और सडक पर चलती उसी गाडी की फोटो/रिकॉर्डिंग की गई। जब सीआईए 2 इचार्ज से गाडी के सबध मे पूछा तो उन्होने गाडी के वजूद को ही नकार दिया और कह दिया कि ऐसी गाडी सीआईए 2 ने कभी नही पकडी और न ही ऐसी गाडी उन्होने

देखी है। हमने फरवरी 2011 मे एसपी का बयान और टीवी पर प्रसारित रिकॉर्डिग निकलवाई तो मामला साफ हो गया। एसपी ने खुद ऐसा बोला था। इन गाडियो की फोटो भी हमने अखबार मे छापी। इसी दौरान 30 मार्च को एक शिक्षक ने सीआईए 2 के खिलाफ पत्रकारवार्ता की । पाच लोगो पर आरोप लगाए जिनके नाम सीआईए 2 इचार्ज मनोज वर्मा मजिस्ट्रेट हेमराज वर्मा एडवोकेट एचसी मोहन वर्मा और अमर सिह है। आज समाज हरिभूमि अमर उजाला और दैनिक ट्रिब्यून समेत कई अखबारो ने समाचार प्रकाशित किया। इसके बाद हमे एक वकील से लीगल नोटिस भिजवाया गया और सीआईए 2 के खिलाफ छपी खबरो का खडन छापने के लिए कहा गया। इसके बाद भी हमने शिक्षक को प्रताडित किए जाने के सबध मे खबर छापी तो सीआईए 2 इचार्ज मनोज वर्मा ने साजिश रच अमर सिह (जो खुद आरोपी है) से हेमराज वर्मा (जो खुद आरोपी है) की कोर्ट मे एक एप्लीकेशन लगा दी। सीआईए 2 पूरी तरह से मामले मे दूर रही पर पर्दे के पीछे सीआईए 2 है। हमेराज वर्मा (जो खुद आरोपी है) ने शक्तियो का दुरूपयोग करते हुए 3 अप्रैल को तुरत मेरे खिलाफ और पत्रकारवार्ता करने वाले शिक्षक के खिलाफ धारा 184 309 420 467 468 471 और 120 बी के तहत इद्री थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। पुलिस ज्यादती पर उतारू है और धमकिया दी जा रही है। इससे साफ है कि इसाफ बेमानी हो रहा है और यदि ऐसे ही पुलिस लाठी और झूठे केस दर्ज करा सच्चाई को दबाती रही तो लोगो को इसाफ नही मिल सकेगा। आप इसकी जाच कराए और हम बेबाक और सच्ची पत्रकारिता यू ही जारी रखे। आपसे निवेदन है कि इस मामले की जाच करे और आरोपी सीआईए 2 इचार्ज मनोज वर्मा की ज्यादतियो से लोगो को निजात दिलाए। ताकि पुलिस मनमानी न कर सके और सबकुछ स्पष्ट हो सके। इस सबध मे प्रकाशित समाचारो की प्रतिया/फोटो और सीडी आपके पास भेज रहा हूँ। आशा है कि पुलिस की ज्यादती पर अकुश लगेगा और पुलिस गठन का मकसद पूरा होगा। यदि पुलिस सच्चाई का साथ देने वाले पत्रकार को झूठे केस मे फसा सकती है तो साफ है कि आम आदमी को जैसे चाहे दबा दिया जा रहा है। जिस तरह से सीआईए 2 मे रिश्वतकाड का भडाफोड हुआ है इससे साफ है कि महकमा भ्रष्टाचार मे लिप्त है। सीआईए 2 इचार्ज मनोज वर्मा के खिलाफ माननीय रवि सौधी की अदालत नवबर 2011 मे भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे चुकी है पर वर्मा के रसूख की वजह से जाच जो दूर अबतक मुकदमा तक दर्ज नही किया गया है जबकि अन्य मामलो मे पुलिस तुरत हरकत मे आ जाती है। मनोज वर्मा की शिकायत श्री हरिराम सूद (सदस्य आयोग) मुख्यमत्री श्री भूपेद्र सिह हुड्डा और मुख्य सचिव हरियाणा से भी कर चुके है। समाचारो की जो प्रतिया साथ सलग्न की गई है इनसे साफ है कि पुलिस मनमानी कर रही है। ज्यादा न लिखते हुए साथ मे अखबार की प्रतिया सलग्न कर रहा हूँ जिनमे विस्तृत जानकारी है। विधानसभा लोकतत्र की रक्षा करती है इसलिए आपसे गुजारिश है कि लोकतत्र का हनन करने वालो की जाच कराकर कार्रवाई करे।

हस्ता/

शीशपाल राणा
ब्यूरो चीफ
आज समाज अखबार करनाल

The petition was placed before the Committee in its meeting held on 16 5 2012 The Committee considered the matter and desired that the comments of Superintendent of Police Karnal may be obtained The Superintendent of Police

Karnal was asked to send his comments on 18 5 2012 He sent his reply vide his letter dated 1 6 2012 which reads as under —

प्रेषक

पुलिस अधीक्षक
करनाल।

सेवा मे

श्री सुमित कुमार सचिव
हरियाणा विधान सभा सचिवालय
चण्डीगढ।

क्रमाक 683 दिनाक 1 6 12

विषय **परिवाद श्री शिशपाल राणा आज समाज अखबार करनाल।**

यादि/

कृपया आपके कार्यालय के No HVS/Petition/12 13/7097 दिनाक 18 5 12 के सन्दर्भ मे।

उपरोक्त परिवाद की जाच श्री जोगिन्द्र सिह राठी ह पु से उप पुलिस अधीक्षक शहर करनाल द्वारा कराई गई। दौराने जाच निरीक्षक मनोज कुमार ईन्चार्ज सीआईए 2 करनाल व उप नि दीपेन्द्र प्रबन्धक थाना इन्द्री को शामिल जाच करके कथन अकित किये गये।

निरीक्षक मनोज कुमार ईन्चार्ज सी आई ए 2 करनाल ने अकित कराया कि शिक्षक चन्द्रलाल पुत्र अमृतलाल वासी बसत विहार करनाल द्वारा प्रैस कोन्फरैन्स बुलाई थी व उनकी पत्नी श्रीमति शान्ति देवी के खिलाफ मु0 न0 60 दिनाक 21 3 06 धारा 406 420 465 468 168 भा द स थाना इन्द्री दर्ज रजिस्टर है। जो स्थानीय पुलिस द्वारा 4 5 06 को मुकदमा मे अखराज रिपोर्ट अकित करके अदालत मे भेजी गई थी परन्तु माननीय अदालत के आदेशानुसार दिनाक 19 8 11 को मुकदमा उरोक्त के दोबारा तफतीश के आदेश दिये गये थे। जो स्थानीय पुलिस द्वारा तफतीश अमल मे लाई गई थी। दौराने तफतीश स उ नि जगबीर द्वारा श्री चन्द्रलाल के स्पैशीमैन सिगनेचर माननीय कोर्ट में लेने हेतु नोटिश 160 द प्र स दिये गये थे परन्तु श्री चन्द्रलाल नोटिस पर उपस्थित नहीं हुआ। दिनाक 27 2 12 को पुलिस महानिदेशक हरियाणा पचकुला के आदेशानुसार मुकदमा उपरोक्त की तफतीश सी आई ए 2 करनाल को आदेश दिये गये थे। मुकदमा की तफतीश अमल मे लाते हुए माननीय इलाका मैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होकर स्पैशीमैन सिगनेचर देने हेतु नोटिस धारा 160 द प्र स श्री चन्द्रलाल को दिये गये। जो दिये गये इस नोटिस पर श्री चन्द्रलाल ने इलाका मैजिस्ट्रेट श्री हेमराज वर्मा की अदालत मे उपस्थित होकर अपनी सहमति से स्पैशीमैन सिगनेचर दिये। मुकदमा मे परिवादी व उतरवादी श्री चन्द्रलाल व डिस्पूट लाईसैन्सी के सिगनेचर मिलान हेतु दिनाक 21 3 12 को एफ एस एल मधुबन भेजे जा चुके है तथा आज समाज अखबार के ब्यूरो चीफ श्री शिशपाल राणा द्वारा कोई व्यक्तिगत रजिश रखते हुए व छवि खराब करने की नियत से आज समाज अखबार मे निरीक्षक मनोज वर्मा के उपर जो आरोप लगाये है वह निराधार बेबुनियाद व सरासर झूठे है। पत्रकार द्वारा छापी गई खबरो का स्टेटस व सोर्स जानने हेतु निरीक्षक मनोज वर्मा द्वारा दिनाक 29 3 12 को एडवोकेट के माध्यम से शीशपाल राणा को लिगल नोटिस भेजा गया था लेकिन श्री

शीशपाल राणा का जवाब लिगल नोटिस प्राप्त नही हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि पत्रकार द्वारा बिना किसी स्टेटस व सोर्स के निरीक्षक मनोज वर्मा की छवि को खराब करने के लिए आज समाज अखबार मे खबर छापी गई है।

उप नि दीपेन्द्र प्रबन्धक थाना इन्द्री ने अकित कराया कि थाना इन्द्री मे श्री चन्द्रलाल पुत्र श्री अमृतलाल जाति बैरागी वासी गली न0 5 बसन्त विहार करनाल व श्री शीशपाल राणा पत्रकार आज समाज के खिलाफ न्यायालय के आदेशानुसार धारा 156(3) द प्र स के तहत आरोपी श्री चन्द्रलाल द्वारा अदालत मे फर्ती वकालत नामा देकर मुदई अमर सिह की दुकान हथियाने व दुकान के सामने आत्महत्या का प्रयास करने व मु0 न0 60 दिनाक 21 3 06 धारा 406 420 465 468 168 भा द स थाना इन्द्री के सम्बन्ध मे जबरन राजीनामा करने की एवज मे व आरोपी श्री शीशपाल राणा पत्रकार आज समाज द्वारा दबाव बनाने के लिए झूठी खबरे छापने बारे मुकदमा न0 103 दिनाक 11 4 12 धारा 384 309 420 467 468 471 120 बी भा द स थाना इन्द्री दर्ज रजिस्टर है। जिसकी तफतीश स्थानीय पुलिस द्वारा अमल मे लाई जा रही है। परिवादो मे लगाये गये आरोपो बारे कोई सच्चाई सामने नही आई है। परिवादी अपना दबाव बनाने के लिए दरखास्त दे रहा है।

रिपोर्ट सेवा मे प्रस्तुत है।

पुलिस अधीक्षक
करनाल

The petitioner was asked to appear before the Committee 8 8 2012 but he did not turn up The Committee made the following observations

In regard to complaint received from Shri Shish Pal Rana Bureau Chief Aaj Samaj Newspaper Karnal a notice has been sent to him by Speed Post by the Haryana Vidhan Sabha Secretariat but the same was not received undelivered by the Committee It goes with the presumption that Speed Post letter has been received by him but he has not appeared in person before the Committee nor he has made any communication In view of the above the said petition is dismissed on account of non prosecution

---

©2012
Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and Printed by the Controller Printing & Stationery Department Haryana Chandigarh